प्रेषक,

आयुक्त,
आगरा मण्डल,
आगरा।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली।

पत्रांक– 940 /10–1 दिनांकः नवम्बर 03 ,2023

विषयः **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–529/2023 में सुनवाई हेतु नियत तिथि 06.11.2023 के लिये Status Report/Response दायर करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

अनुरोधपूर्वक अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ0ए0 संख्या–529/2023 के सन्दर्भ में दिनांक 24.08.2023 को आदेश पारित हुआ, जिसमें सुनवाई हेतु दिनांक 06.11.2023 की तिथि नियत है।

2. इसी कम में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ0ए0 संख्या–529/2023 में पारित आदेश दिनांक 24.08.2023 के अनुपालन में Status Report/Response प्रतिवादी की तरफ से दाखिल किया जाना है।

3. अतः आपसे अनुरोध है कि पत्र के साथ संलग्न Status Report/Response मय संलग्नक उपरोक्त वाद में नियत तिथि को समय से दायर करने हेतु सादर सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीया,

(रितु माहेश्वरी)
आयुक्त।

पत्रांक /10–1 उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपिः– श्री भंवरपाल सिंह जादौन, स्थाई अधिवक्ता, उ0प्र0राज्य, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रितु माहेश्वरी)
आयुक्त।

Status Report /Response on behalf of Respondent No. 5 (Commissioner, Agra) in terms of order dated 24-08-2023, of the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi, in OA no. 529/2023

1. It is submitted that on dated 27-03-1991 vide government letter no. 764/ 14-3-49/90, section 18 notification of the Sur Sarovar Bird Sanctuary (SSBS) Under Wild Life (Protection) Act, 1972, has an area of 403.09 ha (92.49 ha of Forest Land+ 310.60 ha of Land of Irrigation Department = 403.09 HA). It is also to be mentioned that the above-mentioned notification has not mentioned about the type, ownership, survey number and record of right wise area of land.
   (Enclosure:-01)
2. It is submitted that thereafter, on dated 26th of May 1997, vide letter no. 349/ZA, Forest Settlement Officer/District Magistrate, Agra in his proclamation of Section 21 of Wild Life (Protection) Act, 1972, has also mentioned the area included in Sur Sarovar Bird Sanctuary as 403.09 hectares (92.49 hectares and 310.60 hectares respectively). There is no mention of the type, ownership, survey number and record of right wise area of land.
   (Enclosure:-02)
3. That on dated 30th of March 2008, the section 25 proclamation under Wild Life (Protection) Act, 1972 by Forest Settlement Officer/District Magistrate, Agra , the area included in Sur Sarovar Bird Sanctuary is mentioned as 403.09 hectares (92.49 hectares and 310.60 hectares respectively). There is no mention of the type, ownership, survey number and record of right wise area of land.
   (Enclosure:- 03)
4. That on dated 06th May 2008, vide letter no. 3132/10-2 of PCCF Wildlife, Uttar Pradesh the proposal for section 26A notification under Wild Life (Protection) Act, 1972 was sent to Uttar Pradesh Government and it has also mentioned the area of Sur Sarovar Bird Sanctuary as 403.09 hectares only.
   (Enclosure:- 04)
5. That on dated 12-06-2008, UP government vide letter no. 1264/14-4-2008 has directed to provide survey number wise details of the land to be notified under section 26A under Wild Life (Protection) Act, 1972.
   (Enclosure:- 05)
6. It is submitted that on dated 16-06-2008, Principal Chief Conservator of Forest, Wildlife, Uttar Pradesh, vide letter no.3550/10-2 has directed to send the proposal of Sur Sarovar Bird Sanctuary based on up-to-date details of 403.09 ha land- survey number wise along with field book (Khasra)/Record of Right (Khatauni), notified under section 18 of the Wild Life (Protection) Act, 1972.
   (Enclosure:- 06)
7. That thereafter, On dated 12-03-2019, in compliance to the order passed dated 30-10-2016 by Honourable National Green Tribunal, New Delhi in OA No. 41/2015 and 189/2014 Uma Shankar Patwa vs Union Of India and others related to Sur Sarovar Bird Sanctuary, the report of Joint Survey Committee of District Magistrate, Agra dated 12-03-2019 in compliance with the order passed 30-10-2016 has clarified factually the 403.09 ha land of Sur Sarovar Bird Sanctuary with survey numbers, survey number wise area and their ownership details. Here it is important to mention that the notified

403.90 ha land of Sur Sarovar Bird Sanctuary when surveyed, it came around 415.019 ha on the spot and when it was tallied as per associated record of rights (khatauni), it came around 418.505ha.

(Enclosure:- 07)

8. That on dated 25-08-2020, vide letter no. 404/10-1 forest settlement, of this office, based on the Joint Survey report of District Magistrate, Agra dated 12-03-2019, the details of survey number, record of right wise area etc. of 07 survey number falling under Sur Sarovar Bird Sanctuary were sent to the Chief Conservator of Forest Wildlife, Western Region, Kanpur, Uttar Pradesh.

   (Enclosure:- 08)

9. It is submitted that on dated 18-09-2020, the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi init vide order dated 18-09-2020 constituted an expert/joint committee and its recommendations are as follows:
   - *i) Since, in the notification of the sanctuary under section 18, the described area of the sanctuary and the boundary of the sanctuary do not match so it needs modification.*
   - *ii) Since the settlement process of the SSBS has not addressed the issue of boundary and rights properly, therefore the action under section 21 to 25 may be reconsidered and a clear Map indicating the proposed boundary pillars on the boundary of SSBS along with their forward and backward bearings may also be given.*
   - *iii) The committee feels that the outer boundary of the three villages on east (Runakta), west (Nagla-Bhopla) and north (Singna) should be considered as the boundary abutting the composite of wetland (403.09 ha), Soordas Reserve Forest Block (380.558 ha) and Government land (15.415 ha) totalling to 799.063 ha.*
   - *iv) As recommended by the ESZ expert committee, the ESZ notification of the areas around SSBS should be kept on hold and de-notified and fresh notification may be brought out only after the finalization of the sanctuary boundaries after final notification of the sanctuary undersection 26, Wildlife (Protection) Act 1972.*

   (Enclosure:- 09)

10. That on dated 01-06-2021, as per the final order of the Honourable National Green Tribunal, New Delhi, in OA no. 189/2014 and OA no. 41/2015, dated 18-09-2020, operational part of the order are as follows:

    9. We find that originally Notification was issued under Section 18 which only envisaged a proposal. There was scope for objections in the final Notification particularly as there existed a village in the boundary of the notification. Two interpretations are possible about applicability of section 27 restrictions to the village and the constructions beyond 403.09 ha area. Thus, section 18 of the Notification could not be treated as final. Even if we accept the plea that present constructions were in the year 2011 and the petition filed in the year 2014 was within limitation, we find it difficult to hold that the claim for demolition of all constructions falling beyond 404.09 ha area is established. Even apart from the colleges in question there is whole village habitation which stands on the same footing as these colleges and the constructions exist even prior to the notification. It could not be intention of law to allow such constructions within the sanctuary limits and debar other constructions therein. Thus, the expert committee report has sound basis in recommending that the matter needs to be finalised by taking further

necessary steps. The recommendations have to held to be justified on principle, on taking a pragmatic view. As already noted, the Committee has rightly observed that there are large scale constructions existing even prior to Section 18 of the Notification outside the core area of the sanctuary in question. Thus, the confusion needs to be resolved by an appropriate final notification in accordance with law. Infact, this should have been done long back in which case such litigation could have been avoided. To that extent, the concerned authorities have failed to perform their duty.

10. *Accordingly, we direct that the pending matter be finalized by the authorities concerned within three months and pending such finalization no further construction be allowed. Needless to say, that all further steps which may be taken must be in accordance with law and compliant with the directions of the Hon'ble Supreme Court on the subject.*

(Enclosure:- 10)

11. It is submitted that on 18-02-2021 under filed IA Nos 196157, 196158 and 196159 of 2019 in W.P. (C) No. 13381 of 1984, Hon'ble Supreme Court by order directed as follows:
"The proposal in these interlocutory applications may be vetted by Centrally Empowered Committee (CEC)"
(Enclosure:- 11)

12. It is submitted that on dated 25-11-2021, CEC (Central Empowered Committee) submitted its report and as per the para 21(i) and (ii) of this report, the area of Sur Sarovar Bird Sanctuary (403.09 hectares) should be expanded by including government land (15.415 hectares) and Surdas Forest Block (380.558 hectares), with the total area of 799.063 hectare and the determination and streamlining of the boundaries of the bird sanctuary has to be completed within 2 months and to be notified under section 26A of the Wildlife (protection) Act 1972.
(Enclosure:- 12)

13. That on dated 23-09-2022, as per the order of the Honourable Supreme Court, New Delhi, in IA no. 196157, 196158 and 196159, the report of CEC no 17/2021 is accepted without any objection and IA Nos. 196157, 196158 and 196159 stand disposed of and in compliance to it proposal was send for the notification of sanctuary.
Report No. 17/2021 (IA Nos. 196157-196159/2019)
"Since the reports of CEC are accepted without any objection, I.A Nos. 51269/2017, 132820/2020, 44266/2022 and I.A Nos. 196157-196159/2019 stand disposed of."
(Enclosure:- 13)

14. It is submitted that on dated 24-08-2023, the orders of the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi, in OA no. 529/2023, are as follows:
    1. *The matter relates to expand the area of Soor Sarovar Birds Sanctuary located in District Agra, Uttar Pradesh falling in Taj Trapezium Zone (TTZ). The submission of learned Counsel for the applicant is that the report of the Central Empowered Committee (CEC) has been accepted by the Hon'ble Supreme Court by order dated 23.09.2022 passed in the main matter being Writ Petition (Civil) No(s). 13381/1984, M.C. Mehta vs. Union of India & Ors., while disposing of the I.A. 51269/2017 and*

connected IAs. He has drawn the attention of this Tribunal to the recommendation contained in Para 21(ii) of the above report of the CEC which reads as under:

"21. xxx…………………………………..xxx…………………………xxx

(i) xxx…………………………………..xxx…………………………xxx

(ii) Consider extending the area of the Soor Sarovar Bird Sanctuary (SSBS) by including the Surdas Reserve Forest block of 380.558 ha and 15.514 ha of the government land which currently forms the buffer zone of the Sanctuary outside the proposed boundary of the Sanctuary after following the procedure under sections 18 to 25 of the Wildlife (Protection) Act, 1972."

2. *He submits that since IA has been allowed by the Apex Court, therefore, the above recommendation of the CEC is required to be implemented by the respondents.*
3. *In view of the above submission, we deem it proper to issue notice to the respondents No. 2, 4 and 5, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Principal Chief Conservator of Forests (PCCF), Uttar Pradesh and Divisional Commissioner-III, Agra respectively. The Counsel for the applicant is directed to take appropriate steps to serve the said respondents. Let the response on behalf of the above respondents be filed on or before the next date of hearing.*

(Enclosure:- 14)

15. It is submitted that in compliance to the orders dated 24-08-2023, of the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi, in OA no. 529/2023,a meeting was conducted on 11-10-2023 under the chairmanship Principal Chief Conservator of Forest, wildlife, Lucknow, U.P to discuss upon courses undertaken to ensure compliance of the aforementioned orders of the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi, dated 24-08-2023. Similarly, under the chairmanship of Deputy Conservator of Forest, Nation Chambal Sanctuary Project, Agra, U.P, a meeting was conducted on the same day for aforementioned compliances, and based on the common consensus of both meetings, it has been decided and proposed to follow it in two stages, as ordered by Hon'ble Supreme Court dated 23-09-2022 under IA no. 196157, 196158 and 196159, in which the report of CEC no. 17/2021 is accepted without any objection and IA Nos. 196157, 196158 and 196159 stand disposed of.
16. The two-stage proposal for the compliance is annexed as **Enclosure:- 15.**
17. It is submitted that in that of above mention meetings conducted on 11-10-2023 and decision made thereafter to avoid inconsistency, the D.C.F, National Chambal Sanctuary Project, Agra, U.P has requested to District Magistrate, Agra, U.P vide letter no. 184(Shivir Camp)/10-1, dated 31-10-2023, to conduct a survey, to describe the notified area of Sur Sarovar Bird Sanctuary (403.09 Ha), by segregating 15.415 Ha land from Khatauniwar (Record of Right-wise) mentioned area of 418.505 Ha, reported in Joint Survey Committee Report of District Magistrate, Agra dated 12-03-2019, and subsequently provide survey number-wise details of notified area (403.09 Ha) along

with boundary pillars, map and backward-forward bearings at the earliest without any delay, so that the process for final notification can be done.

Enclosure:- 16.

18. It is respectfully submitted that the respondent state is duty bound to fulfil the obligations which are assigned under law and passed by the Hon'ble Supreme Court and Hon'ble National Green Tribunal. Therefore, with the utmost sincerity, and with the abundant precaution, the officers are taking step for the final notification of Sur Sarovar Bird Sanctuary under section 26A of the Wild Life (protection) Act, 1972.
19. It is further submitted that under section 18A of the Wild Life (protection) Act, 1972, Sur Sarovar Bird Sanctuary is protected diligently and under sections 27 to 33A (both inclusive), it is patrolled regularly to avoid trespassing, any kind of mining, hunting of birds, destruction to habitat and ensure fire protection and development of the habitat.

Therefore, Status Report / Response in terms of order dated 24-08-2023, of the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi, in OA no. 529/2023, is submitted.

Enclosure:- 1

उत्तर प्रदेश सरकार
वन अनुभाग-3 (तीन)

185

संख्या: 764/14-3-49/90
लखनऊ: दिनांक: 27 मार्च, 1991

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार के विचार में वह क्षेत्र जिसकी स्थिति और सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, वन्य जीवों और उनके पर्यावरण के संरक्षण, सम्वर्द्धन और विकास के प्रयोजन के लिए पर्याप्त पारिस्थितिक, प्राणिजात, वनस्पतीय, भूआकृतित्व, प्राकृतिक और प्राणि तत्वीय महत्त्व का है,

अतएव, अब, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (अधिनियम संख्या 53 सन् 1972) की धारा 18 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उक्त क्षेत्र को वन्य जीव विहार के रूप में घोषित करते हैं जिसे जिला आगरा में "सूर सरोवर पक्षी विहार" के नाम से जाना जायेगा।

अनुसूची

सूर सरोवर पक्षी विहार का निम्न प्रकार सीमाबद्ध क्षेत्र:-

उत्तर-	ग्राम सींगना की बाहरी सीमा।
पूर्व -	ग्राम रुनकता की बाहरी सीमा।
दक्षिण-	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 की सीमा।
पश्चिम-	ग्राम नगला भोपला की सीमाएं।

क्षेत्र

इस पक्षी विहार में नीचे दिये गये क्षेत्र समाविष्ट हैं :-

वन भूमि	92.49 हैक्टेयर	— वनभूमि
राजस्व भूमि	310.60 हेक्टेयर	
योग:	403.09 हेक्टेयर	

या 4.030 वर्ग कि० मी०

आज्ञा से,

राजीव रत्न शाह
सचिव।

.....2

।2।

संख्या: 764।1।/14-3-49/90 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद की प्रतिलिपि सहित अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड "ख" में असाधारण बजट के दिनांक 3.4.1991 के अंक में प्रकाशित कर दें तथा उसकी 50 प्रतियां इस अनुभाग को भेजने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
27.3.91
। गोपी मोहन श्रीवास्तव ।
विशेष सचिव।

संख्या: 764।1।/14-3-49/90 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- विशेष सचिव, पशुधन एवं मत्स्य, उ0 प्र0 शासन को इस आशय से प्रेषित कि प्रायोगिक रूप से इस वर्ष जलाशय से मछलियों के निष्कासन का कार्य अप्रैल से जून की अवधि में किया जाय किन्तु मत्स्याखेट से पक्षियों के आवागमन में किसी प्रकार का व्यवधान न हो।
2- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश
4- मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।
6- जिलाधिकारी, आगरा।
7- वन संरक्षक, बृज भूमि क्षेत्र, आगरा।
8- विधायी अनुभाग
9- पर्यटन अनुभाग-1।

आज्ञा से,
27.3.91
। गोपी मोहन श्रीवास्तव ।
विशेष सचिव।

Enclosure: 2

सलंग्नक-4

43

सार्वजनिक सूचना

(अन्तर्गत धारा-21 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 (यथा संशोधित वर्ष 1991)

सर्व साधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उ०प्र० सरकार वन अनुभाग-3 (सोम) की विज्ञप्ति संख्या: 764/14-3-49/90 दिनांक 27-3-1991 द्वारा निम्न क्षेत्र जिसकी सीमाएं एवं क्षेत्र नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट है को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 (यथा संशोधित वर्ष 1991) की धारा-18 के अन्तर्गत वन्य जीव विहार घोषित किया गया है तथा यह क्षेत्र जिला आगरा में "सूर-सरोवर पक्षी विहार" के नाम से जाना जायेगा।

अतः वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा-21 (सपठित धारा-19) के अन्तर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है कि यदि किसी को कोई आपत्ति है या किसी का कोई स्वत्व अधिकार (सीमा व प्रकृति सहित) या व्यवधान अन्तर्निहित हो तो निम्न निर्धारित प्रपत्र पर उद्घोषणा प्रकाशित होने की तिथि से दो माह की अवधि में मय क्षतिपूर्ति/अधिकार अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख प्रस्तुत कर सकता है।

सर्व साधारण को यह भी सूचित किया जाता है कि उ०प्र० शासन की उपरोक्त विज्ञप्ति दिनांक मार्च, 27, 1991 के बाद उद्घोषित क्षेत्र के अन्दर उत्तराधिकार, इच्छा पत्र (वसीयत द्वारा) या बिना इच्छा पत्र (गैर वसीयत द्वारा) के स्वत्वों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति का कोई अधिकार सृजित नहीं होगा।

अनुसूची

सूर-सरोवर पक्षी विहार का क्षेत्र निम्न प्रकार सीमा बद्ध है-

उत्तर- ग्राम सींगना की बाहरी सीमा

पूर्व - ग्राम रैनकता की बाहरी सीमा

दक्षिण- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 की सीमा

पश्चिम- ग्राम नगला भोपरा की सीमाएं

क्षेत्र

इस पक्षी विहार में नीचे दिये गये क्षेत्र समाविष्ट हैं।

92.49 हेक्टेयर

310.60 हेक्टेयर

योग: 403.09 हेक्टेयर

या 4.03 वर्ग कि०मी०

44

कार्यालय जिलाधिकारी आगरा।

पत्रांक: 349 / अति दिनांक, आगरा 26/5/1997:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं वृहद प्रचार एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु प्रेषित:

1. वन संरक्षक, सा०वा०, बृजभूमि क्षेत्र, आगरा।
2. उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल वन्य जीव विहार, आगरा
3. उप जिलाधिकारी, किरावली, आगरा।
4. खण्ड विकास अधिकारी अछनेरा, आगरा।

प्रतिलिपि सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त सार्वजनिक सूचना कम से कम दो प्रमुख स्थानीय दैनिक अखबारों में प्रकाशित करायें।

जिलाधिकारी
आगरा।

26-5-97
264510
360662
26/5/97

Enclosure: 3

22

वन्य प्राणि (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित 2002) की धारा– 19–25 के अन्तर्गत ग्राम– कीथम, तहसील– किरावली, जनपद– आगरा में सूरसरोवर पक्षी विहार की स्थापना सम्बन्धी उदघोषणा।

सर्व साधारण को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि वन्य प्राणि (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा–18 के अन्तर्गत एवं धारा–1 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश द्वारा विज्ञप्ति संख्या–764 / 14–3–49 / 90 दिनांक 27–03–1991 द्वारा वन्य जीव और उनके पर्यावरणीय संरक्षण सम्बर्द्धन और विकास करने के प्रयोजन के लिए पर्याप्त पारिस्थितिक, प्राणिजातीय, वानस्पतिक, भू–आकृति तत्वीय प्राकृतिक और प्राणि तत्वीय महत्व के कुल 4.03 वर्ग कि0मी0 क्षेत्र को पक्षी विहार घोषित किया गया था जिसका नाम ***सूर–सरोवर पक्षी विहार*** रखा गया है।

आगरा जनपद में स्थिति सूर–सरोवर पक्षी विहार में पड़ने वाली सीमायें निम्न प्रकार हैं:–

उत्तर	–	ग्राम सींगना की बाहरी सीमा।
पूर्व	–	ग्राम रुनकता की बाहरी सीमा।
दक्षिण	–	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या– 2 की सीमा।
पश्चिमी	–	ग्राम नगला भोपला की सीमायें।

उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश 3734 / चौदह–4–96–878 / 98 दिनांक 27–11–96 में निहित प्राविधानों के अनुसार प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये अधोहस्ताक्षरी द्वारा पत्रांक 349 / 2ए दिनांक 26–05–1997 द्वारा सूर–सरोवर पक्षी विहार, कीठम (आगरा) की वन्य प्राणि (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा–21 की उदघोषणा प्रकाशित करते हुये सर्व साधारण से दावे प्रस्तुत करने हेतु दो माह का समय दिया गया था। यह अवधि दिनांक 26–07–97 को समाप्त हो चुकी थी। इस अवधि में कोई भी दावे प्रस्तुत नहीं किये गये।

(2)

अतः सूर–सरोवर पक्षी विहार की सीमायें वन्य प्राणि (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा–18 से 25 तक की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात निम्न प्रकार है:–

उत्तर	–	ग्राम सींगना की बाहरी सीमा
पूर्व	–	ग्राम रुनकता की बाहरी सीमा
दक्षिण	–	राष्ट्रीय राजमार्ग–2 की सीमा
पश्चिमी	–	ग्राम नगला भोपला की सीमा।

सूर–सरोवर पक्षी विहार के अन्तर्गत सूरसरोवर पक्षी विहार के विकास हेतु जल मग्न भूमि, पक्षी विहार की सीमाओं में पड़ने वाली ग्राम समाज एवं अन्य सरकारी भूमि को सम्मिलित किया गया है।

अतः अधोहस्ताक्षरी घोषणा करते हैं कि सूरसरोवर पक्षी विहार की सीमा के अन्तर्गत वर्तमान में वन भूमि के साथ केवल जल मग्न भूमि, आस–पास की ग्राम समाज/सरकारी भूमि पक्षी विहार में सम्मिलित है। इस पक्षी विहार की वन भूमि एवं अन्य राजकीय भूमि के अन्तर्गत जनपद आगरा में आने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है–

कीथम वन ब्लाक की भूमि	–	92.49 हैक्टेयर
राजकीय भूमि/झील एवं बंधा क्षेत्र	–	310.60 हैक्टेयर
योग	–	**403.09 हैक्टेयर**

30/03/08

जिलाधिकारी

आगरा।

(वन बन्दोवस्ती अधिकारी)

Enclosure: 4

संलग्नक-4

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव उ0 प्र0 लखनऊ

पत्रांक 3132 / 10-2 (बन्दोबस्ती) लखनऊ दिनांक, अप्रैल मई 6, 2008

सेवा मे

प्रमुख सचिव
वन, उ0 प्र0 शासन
वन अनुभाग - 4, लखनऊ

विषय - ग्राम कीथम, तहसील किरावली, जनपद आगरा मे स्थित सुरसरोवर पक्षी विहार की वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 यथा संशोधित 2002 की धारा 26 'क' के अन्तर्गत अन्तिम रूप से घोषणा/अधिसूचना हेतु प्रस्ताव ।

सन्दर्भ - शासन की पत्र संख्या 1114/14-4-2008, वन अनुभाग -4 / दिनांक -25-04-2008

महोदय,

निवेदन है कि जिलाधिकारी / वन बन्दोबस्ती अधिकारी आगरा द्वारा उपरोक्त विषयक प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 18 के अन्तर्गत निर्गत शासकीय विज्ञप्ति संख्या 764/14-3-49/90 दिनांक 27-3-1991 से अधिसूचित, ग्राम कीथम, तहसील किरावली जनपद आगरा मे स्थित सुरसरोवर पक्षी विहार के सम्बन्ध मे अधिनियम की धारा 19 से 25 के अन्तर्गत अपेक्षित बन्दोबस्ती की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है । अधिनियम की धारा 18 से 25 तक की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात सुरसरोवर पक्षी विहार की सीमाएं व क्षेत्र निम्न प्रकार है ।

सीमाएं-

उत्तर	-	ग्राम सींगना की बाहरी सीमा
पूर्व	-	ग्राम रूनकता की बाहरी सीमा
दक्षिण	-	राष्ट्रीय राजमार्ग-2 की सीमा
पश्चिम	-	ग्राम नगला भेपला की सींमा

क्षेत्र- पक्षी विहार मे निम्न प्रकार भूमि समाविष्ट है ।

भूमि का प्रकार	क्षेत्रफल
कीथम वनब्लाक की भूमि	92 . 49 हैक्टे0
राजकीय भूमि / झील एवं बंधा क्षेत्र	310 . 60 हैक्टे0
योग-	403 . 09 हैक्टे0
या	4 . 030 वर्ग किमी0

पक्षी विहार मे उक्तानुसार समाविष्ट क्षेत्र मे सुरसरोवर पक्षी विहार के विकास हेतु जलमग्नभूमि तथा पक्षी विहार की सीमाओं मे पडनेवाली ग्राम समाज एवं अन्य सरकारी भूमि को सम्मिलित किया गया है ।

शेष पृष्ठ-2 पर

(2)

वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 यथा संशोधित 2002 की धारा 26 'क' के अन्तर्गत अपेक्षित सुरसरोवर पक्षी विहार की अन्तिम रूप से घोषणा / विज्ञप्ति हेतु हिन्दी व अंग्रेजी आलेख दो-दो प्रतियों मे संलग्न कर प्रेषित है अतः उक्त के क्रम आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें ।

संलग्नक -

1- जिलाधिकारी का पत्र दिनांक 30-3-2000

2- धारा 26 क का हिन्दी व अंग्रेजी आलेख

भवदीय

प्रमुख वन संरक्षक
वन्य जीव, उ0 प्र0
लखनऊ

पत्रांक उक्त दिनांकित

प्रतिलिपि वन संरक्षक, वन्य जीव वृत, लखनऊ को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि कृपया शासन से सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करें ।

प्रमुख वन संरक्षक
वन्य जीव, उ0 प्र0
लखनऊ

Enclosure: 5

प्रेषक,

संख्या–1264 / 14–4–2008

जे0 पी0 शर्मा,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख वनसंरक्षक,
वन्य जीव,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वन अनुभाग–4

लखनऊ, दिनांक 12 जून, 2008

विषय– ग्राम कीथम, तहसील किरावली, जनपद आगरा में स्थित सूरसरोवर पक्षी विहार की भूमि वन्य प्राणि (संरक्षण) अधिनियम, 1972 यथा संशोधित 2002 की धारा "क" के अन्तर्गत अन्तिम रूप से घोषणा/अधिसूचना जारी करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–3132/10–2 (वन्दो वस्ती) दिनांक 05–6–2008 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधिसूचना हेतु प्रस्तावित प्रश्नगत भूमि के गाटा संख्या का विस्तृत विवरण शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(जे0 पी0 शर्मा)
उप सचिव।

(1) Dy CWLW
PLWM 13/6

(2) Dy ROCC
उपरोक्त।
13/6
CCFED

CCF

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव, उ0 प्र0, लखनऊ
पत्रांक 3550 / 10-2 (वन्दोवस्ती) लखनऊ, दिनांक 16-6-2008
प्रतिलिपि वन संरक्षक वन्य जीव वृत लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत प्रस्ताव के सम्बन्ध उपरोक्त शासकीय पत्र द्वारा मांगा गया विवरण सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी से प्राप्त कर परीक्षणोपरान्त, शासन को सहित प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें तदनुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

प्रमुख वन संरक्षक
उ0 प्र0, लखनऊ

Enclosure: 6

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव, उ० प्र०, लखनऊ
पत्रांक 3550 / 1-0-2 (बन्दोबस्ती) लखनऊ, दिनांक 16,6-2008

प्रतिलिपि वन संरक्षक वन्य जीव वृत्त लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत प्रस्ताव के सम्बन्ध उपरोक्त शासकीय पत्र द्वारा मांगा गया विवरण, सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी से प्राप्त कर परीक्षणोपरान्त, आख्या सहित प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें तदनुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

प्रमुख वन संरक्षक
उ० प्र० [illegible]

Enclosure: 7

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
आगरा।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
वन्य जीव,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

दिनांक : 12 –03–2019

संख्या : 1668 / ओएसडी

विषय : आनन्द प्रौद्योगिकी कॉलेज, आगरा एवं हिन्दुस्तान इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी एवं मैनेजमेंट, आगरा के संबंध में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal) नई दिल्ली में आवेदन सं0–41 / 2015, 189 / 2014, एम0ए0 356 / 2017 उमा शंकर पटवा एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 30–10–2018 के अनुपालन के संबंध में वन एवं वन्य जीव अनुभाग–4, उ0प्र0 शासन, लखनऊ का कार्यालय ज्ञाप संख्या–2499 / 14–4–2018–800 (60) / 2014 दिनांक 29–11–2018 द्वारा गठित कमेटी के कार्यवृत के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या 210 / 10–1(ओ ए नं0 41 / 2015)लखनऊ दिनांक 05–12–2018 का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त प्रकरण का परीक्षण एवं जॉच कराये जाने हेतु समिति का गठन किया गया। उक्त गठित समिति द्वारा जनपद आगरा में उपलब्ध राजस्व अभिलेखों के आधार पर प्रकरण में विस्तृत जॉच आख्या प्रस्तुत की है। उक्त जॉच कार्यवाही के दौरान वन एवं वन्य जीव, वन विभाग, आगरा द्वारा प्रश्नगत प्रकरण से संबंधित कोई नक्शा एवं सुसंगत अभिलेख उपलब्ध नही कराये गये है।

अतः संदर्भित प्रकरण में राजस्व विभाग में उपलब्ध राजस्व अभिलेखों के आधार पर समिति द्वारा प्ररतुत की गयी जॉच आख्या मूलरूप(कुल किता 494) में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः–यथोक्त

भवदीय

(एन0जी0 रवि कुमार)
जिलाधिकारी,
आगरा।

01

जिलाधिकारी
आगरा

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय के पत्रांक 1494/ओएसडी दिनांक 12/12/2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्रांक के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज व हिन्दुस्तान इन्स्टीटयूट ऑफ टैक्नौलॉजी एण्ड मैनेजमेंट, आगरा के सम्बन्ध में प्रस्तुत आवेदन संख्या 41/2015, 189/2014 एम.एम. 356/2017 उमाशंकर पटवा एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य पर पारित आदेश दिनांक 30/10/18 के अनुपालन में वन एवं वन्य जीव अनुभाग–4 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या–2499/14–4–2018–800 (60)/2014 दिनांक 29/11/18 के अंतर्गत गठित कमेटी की बैठक दिनांक 29/11/18 मे लिए गए निर्णय के बिन्दु संख्या 2 व 3 के सम्बन्ध में परीक्षण जांच हेतु कमेटी गठित की गई है। उक्त गठित कमेटी में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), अपर जिलाधिकारी (भू.अ.), डी.एफ.ओ. राष्ट्रीय चम्बल सेन्चुरी, उपजिलाधिकारी खेरागढ तथा उपजिलाधिकारी किरावली को शामिल किया गया है।

उपर्युक्त कार्यवृत्त दिनांक 29/11/18 के बिन्दु संख्या 2 व 3 निम्नानुसार है :–

बिन्दु संख्या–2 प्रश्नगत संस्थाएं सूरसरोवर वन्य जीव विहार की सीमा के अतंगर्त अवस्थित हैं अथवा नहीं, इस सम्बन्ध मे जिलाधिकारी आगरा की सहायता लेने का निर्णय लिया गया।

बिन्दु संख्या–3 जिलाधिकारी आगरा द्वारा प्रश्नगत वन्य जीव विहार के अधिसूचना के अनुसार वन विभाग एवं राजस्व के अधिकारियों के संयुक्त तत्वावधान में नक्शा तथा खतौनी के आधार पर सम्पूर्ण क्षेत्र की पैमाइश कराकर एक नज़री नक्शा तथा पैमाइश की विस्तृत रिपोर्ट दिनांक 15/12/18 तक तैयार कर,जिसमें यह स्पष्ट रूप से इंगित किया जाए कि प्रश्नगत संस्थाए सूरसरोवर वन्य जीव विहार के अधिसूचित सीमा के अंतर्गत अवस्थित हैं अथवा नहीं, प्रेषित की जाए।

उत्तर प्रदेश सरकार वन अनुभाग–3 की अधिसूचना संख्या 764/14–3–49/90 दिनांक 27/3/1991 के अंतर्गत तहसील किरावली में कीठम झील को सूरसरोवर पक्षी विहार के रूप में अधिसूचित किया गया। अधिसूचना के अनुसार सूर सरोवर पक्षी विहार के क्षेत्र की सीमाएं निम्नानुसार हैं:–

उत्तर–ग्राम सींगना की बाहरी सीमा

पूर्व – ग्राम रुनकता की बाहरी सीमा

दक्षिण–राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–2 की सीमा

पश्चिम–ग्राम नगला भूपला की सीमा

अधिसूचना में अंकित कुल क्षेत्रफल 403.09 हेक्टेयर है जिसमें निजी काश्तकारों की भूमि सम्मिलित नहीं है। उक्त अधिसूचना के अंतर्गत शामिल भूमि तहसील किरावली के राजस्व ग्राम सींगना, चौमा फरह, रूनकता तथा अरसैना के राजस्व अभिलेखों में अंकित हैं। स्थलीय पैमाइश हेतु राजस्व विभाग के श्री सोनपाल, रा.नि. रूनकता श्री

क्रमशः पृष्ठ संख्या 2

ललित नारायण प्रशांत रा.नि. बरोली अहीर, श्री वीरपाल सिंह लेखपाल रूनकता, श्री कृष्णकांत लेखपाल, क्षेत्र सींगना, श्री अनुराग यादव, लेखपाल क्षेत्र अरसेना, श्री सुरजनसिंह लेखपाल, क्षेत्र कीठम, वन विभाग से श्री ओमकार सिंह, वनजीव रक्षक, क्षेत्र सूरसरोवर पक्षी विहार, कीठम, आगरा एवं श्री अनिल कुमार सिंह, वन्य जीव प्रतिपालक, क्षेत्र राष्ट्रीय चंबल सैन्चुरी, इटावा आगरा तथा श्री पंकज कुमार गुप्ता, सर्वेयर मै. पंकज गुप्ता, आगरा की टीम बनाकर पैमाइश कार्य सम्पन्न कराया गया। पैमाइश के समय उपरोक्त दोनों संस्थाओं की ओर से प्रतिनिधि के रूप में श्री गौरव सौनभद्र, डिवीजनल मैनेजर, शारदा ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूशन्स, आगरा उपस्थित रहे। पैमाइश का कार्य दिनांक 15 दिसम्बर 2018 से 5 जनवरी 2019 तक किया गया।

पैमाइश में जरीब, जी.पी.एस इंस्ट्रूमेंट तथा ईटीएस मशीन का प्रयोग किया गया। पैमाइश हेतु राजस्व मानचित्र तथा वन मानचित्र को आधार बनाया गया। पैमाइश में गूगल अर्थ की भी सहायता ली गई। नजरी नक्शा तैयार किया गया है। प्रश्नगत क्षेत्र के गूगल अर्थ से लिए गए मैप पर राजस्व मानचित्र को सुपरइम्पोज कर मानचित्र तैयार किया गया है। सुलभ सन्दर्भ हेतु खतौनियों की प्रति, गूगल अर्थ पर राजस्व शजरा, (अक्षांश एवं देशांतर सहित), पैमाइश की फील्डबुक, सरकारी भूमि, वन भूमि (बन्ध स्केप) काश्तकारों की कृषि/शामिल आबादी, व्यावसायिक/आद्योगिक/टाऊनशिप/शिक्षण संस्थान आदि का खसरावार विवरण तथा गोशवारा संलग्न हैं। संलग्न शजरों में प्रश्नगत संस्थायें केशरिया (औरेंज) रंग से प्रदर्शित की गई हैं। सूरसरोवर पक्षी विहार की सीमा को आसमानी नीले रंग से प्रदर्शित किया गया है जिसे पैमाइश के लिए कुल 23 भागों में त्रिभुजाकार आकृतियों में विभाजित कर पैमाइश की गई है जिसका विवरण पृथक से संलग्न है। संलग्न नजरी नक्शे में आसमानी नीले रंग से दर्शायी गई आकृति के भीतर पैमाइश के उपरांत 415.019 हेक्टेयर क्षेत्रफल पाया गया, जो सूरसरोवर पक्षी विहार के कब्जे में है। पैमाइश से यह स्पष्ट है कि सूरसरोवर पक्षी विहार का अधिसूचना दिनांक 27/3/1991 में अधिसूचित क्षेत्रफल 403.09 हेक्टेयर सुरक्षित है तथा इसका कोई अंश उपरोक्त संस्थाओं की भूमि में शामिल नहीं है अर्थात दोनों संस्थायें अधिसूचित क्षेत्रफल से बाहर अवस्थित हैं। वर्ष 2013 में वन विभाग तथा राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा पैमाइश कर सूरसरोवर पक्षी विहार के सूरदास वन ब्लॉक एवं कीठम वन ब्लॉक की वन भूमि की सीमा निर्धारित कर उपरोक्त निजी संस्थाओं की भूमि से पृथक कर सीमा विवाद का निस्तारण कर दिया गया था।

सूरसरोवर पक्षी विहार कीठम के नोटिफिकेशन दिनांक 27/3/1991 की चौहद्दी को गहरे नीले रंग से दर्शाया गया है जिसके अंतर्गत शामिल ग्राम सींगना, चौमा फरह, रूनकता तथा अरसैना की गाटा संख्याओं का क्षेत्रफल खतौनी के आधार पर 1865.8908 हेक्टेयर है। इसमें सरकारी भूमि का कुल क्षेत्रफल 996.4091 हेक्टेयर है। इसमें सूरदास वन ब्लॉक का क्षेत्रफल, कीठम झील, नाला, स्कैप बंधा, रजवाहा, गंदा नाला, सर्विस रोड, चक मार्ग, नाली, गांव की आबादी तथा अन्य सार्वजनिक उपयोग की भूमियाँ भी शामिल हैं। इसमें निजी भूमि का कुल क्षेत्रफल 869.4817 हेक्टेयर, जिसमें कृषि/आबादी शामिल जोत 797.4687 हेक्टेयर व व्यावसायिक/औद्योगिक/टाऊनशिप/शिक्षण संस्थान आदि का क्षेत्रफल 72.0130 हेक्टेयर है, जिसमें उपरोक्त दोनों संस्थाओं, आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज व हिन्दुस्तान इन्स्टीटयूट ऑफ टैक्नौलॉजी एण्ड मैनेजमेंट का क्षेत्रफल 7.950 हेक्टेयर भी शामिल है। नोटिफिकेशन दिनांक 27/3/1991 में अंकित चौहद्दी के अंतर्गत ग्राम सींगना, चौमा फरह, नगला भूपला तथा रूनकता ग्राम की आबादी भी स्थित है जिसमें लगभग 30 हजार नागरिक निवास करते हैं। उक्त चौहद्दी के अंतर्गत 17 शिक्षण संस्थायें तथा 24 औद्योगिक/व्यावसायिक इकाईयां स्थित है। इसी के अंतर्गत आस्था सिटी नामक टाऊनशिप भी अंशतः

क्रमशः पृष्ठ संख्या 3

03

विकसित है। इसी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग–2 के किनारे–किनारे तथा कस्बा रूनकता की आबादी के अंदर व्यावसायिक दुकानें एवं प्राईवेट हॉस्पीटल भी स्थित हैं। इस क्षेत्र में शनि देव मंदिर, रेणुकाधाम, शृंगी ऋषि का आश्रम, सूर कुटीर आदि पौराणिक एवं धार्मिक स्थल भी शामिल हैं।

संयुक्त टीम द्वारा की गई पैमाइश से यह स्पष्ट होता है कि आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज व हिन्दुस्तान इन्स्टीटयूट ऑफ टैक्नौलॉजी एण्ड मैनेजमेंट, अधिसूचना दिनांक 27/3/1991 में उल्लिखित सूरसरोवर पक्षी विहार के क्षेत्रफल 403.09 हेक्टेयर से बाहर है किन्तु अधिसूचना में उल्लिखित चौहद्दी के अंतर्गत है।

(वीरपाल सिंह)
लेखपाल क्षेत्र–रूनकता

(कृष्णकान्त)
लेखपाल क्षेत्र–सींगना

(अनुराग यादव)
लेखपाल क्षेत्र–सींगना

(सुरजन सिंह)
लेखपाल क्षेत्र–कीठम

(ओमकार सिंह)
वन जीव रक्षक
क्षेत्र सूरसरोवर पक्षी विहार, कीठम

(सोमपाल)
राजस्व निरीक्षक
क्षेत्र–रूनकता

(ललित नारायण प्रशान्त)
राजस्व निरीक्षक
क्षेत्र–बरौली अहीर, तहसील सदर
आगरा

(पंकज कुमार गुप्ता)
सर्वेयर, मै. पंकज गुप्ता, आगरा

(गौरव सौनभद्र)
डिवीजनल मैनेजर,
शारदा ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूशन्स,
आगरा

(अनिल कुमार सिंह)
वन्य जीव प्रतिपालक
क्षेत्र राष्ट्रीय चम्बल सैन्चुरी, इटावा

(गरिमा सिंह)
उपजिलाधिकारी, किरावली

(रजनीकान्त)
उपजिलाधिकारी, खैरागढ़

(आनन्द कुमार श्रीवास्तव)
डी.एफ.ओ., राष्ट्रीय चम्बल सैन्चुरी, आगरा

(एस.पी. सिंह)
अपर जिलाधिकारी, (भू0अ0)
आगरा

(राकेश कुमार मालपाणी)
अपर जिलाधिकारी (वि.रा.)
आगरा

Enclosure: 8

कार्यालय उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजैक्ट, उ0प्र0, आगरा

पत्रांक 404 /10–1(वन बन्दोबस्त) आगरा, दिनांक 25, अगस्त ,2020

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
वन्यजीव पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0, कानपुर।

विषयः– वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा–26(क) अन्तर्गत सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, आगरा की उदघोषणा के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का कार्यालय पत्रांक 1714/26–11(सूर सरोवर) दिनांक 24–12–2012 व पत्रांक 2570/26–11(वन्दोबस्ती) दिनांक 18–02–2013 तथा आपका कार्यालय पत्रांक 1965/26–1 दिनांक 04–01–2013 व पत्रांक 3333/26–1 दिनांक 26–04–2013

महोदय,

विषयगत प्रकरण में अनुरोधपूर्वक अवगत कराना है कि शासन स्तर से सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, आगरा की वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 26 अन्तर्गत अन्तिम अधिसूचना निर्गत करने हेतु प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ व आपके सन्दर्भित पत्रों द्वारा धारा– 18 के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र केवल 403.09 हे0 के गाटाओं का विवरण अद्यतन खसरा/खतौनी के आधार पर तैयार प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। सुलभ संदर्भ हेतु संदर्भित पत्रों की छायाप्रति संलग्न है **(संलग्नक– 1,2,3,4)**। उक्त के अनुपालन में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर स्थिति निम्नवत् है –

1. राष्ट्रीय चम्बल सेंक्चुरी प्रोजेक्ट, आगरा अन्तर्गत सूरसरोवर पक्षी विहार का गठन, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 18 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए उ0प्र0 वन अनुभाग–3 के शासनादेश सं0 764/14–3–49/90 दिनांक 27–03–1991 द्वारा किया गया **(संलग्नक–5)**।

   शासनादेश में वर्णित "अनुसूची" के अनुसार सूरसरोवर पक्षी विहार का सीमावद्ध क्षेत्र निम्न प्रकार है:–

उत्तर	–	ग्राम सींगना की वाहरी सीमा।
पूर्व	–	ग्राम रुनकता की वाहरी सीमा।
दक्षिण	–	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–2 की सीमा।
पश्चिमी	–	ग्राम नगला भोपला की सीमायें।

   शासनादेश में वर्णित "क्षेत्र" के अनुसार सूरसरोवर पक्षी विहार में समाविष्ट क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार है:–

		92.49 हे0
		310.60 हे0
योग	–	403.09 हे0 या 4.030 वर्ग कि0मी0

   अधिसूचना में पक्षी विहर में सम्मिलित की गयी भूमि क्रमशः 92.49 हे0 तथा 310.60 हे0 के प्रकार, स्वामित्व, गाटा नम्बर, गाटा नम्बरवार क्षेत्रफल का उल्लेख नहीं है। प्रभाग कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों में धारा 18 की टाइप की हुई उक्त अधिसूचना की छायाप्रति उपलब्ध है जिसमें 92.49 हे0 के सम्मुख वनभूमि व 310.80 हे0 के सम्मुख राजकीय भूमि हस्तलिपि में अंकित है।

2. वन बन्दोवस्ती अधिकारी/जिलाधिकारी, आगरा के पत्रांक 349/जेड ए दिनांक 26–05–1997 द्वारा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 21 की उद्घोषणा प्रकाशित करायी गयी। उद्घोषणा में पक्षी विहार में समाविष्ट क्षेत्र 92.49 हे0 व 310.60 हे0 के गाटा सं0 व क्षेत्रफल का उल्लेख नहीं है **(संलग्नक–6)**।

3. सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, आगरा के सीमावद्ध क्षेत्र अन्तर्गत स्थित पक्षी विहार से सटे हुए आरक्षित वन क्षेत्र सूरदास वन ब्लाक, क्षेत्रफल 380.72 हे0 को वर्ष 1997–98 में सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा से राष्ट्रीय

चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट, उ0प्र0, आगरा को हस्तान्तरित किया गया। इस प्रकार सूर सरोवर पक्षी विहार व धारा–18 अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र 403.09 हे0 के साथ 1997–98 में प्राप्त आरक्षित वन सूरदास वन ब्लाक 380.72 हे0 व अन्य क्षेत्र, कुल 799.07 हे0 क्षेत्र का राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजैक्ट, आगरा के नियन्त्रणाधीन संरक्षण व संवर्धन किया जाता है।

4. वन बन्दोबस्ती अधिकारी /जिलाधिकारी, आगरा द्वारा उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल वन्यजीव विहार के कार्यालय पत्रांक 62/सूर सरोवर प0वि0 (बन्दोबस्त) दिनांक 10-07-2003 से सूरदास वन ब्लाक की भूमि– 380.07 हे0, कीथम वन ब्लाक की भूमि– 93.10 हे0 व राजकीय भूमि/झील एवं बन्धा क्षेत्र की भूमि– 309.07 हे0 को सम्मिलित करते हुए कुल 783.07 हे0 भूमि को (संलग्नक– 7) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा– 19 से धारा– 25 के अन्तर्गत सूर सरोवर पक्षी विहार के रूप में उद्घोषित किया गया तथा तदानुसार ही सूर सरोवर पक्षी विहार को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा– 26 (ए) के अन्तर्गत उद्घोषणा हेतु उच्च स्तर को प्रस्ताव प्रेषित किया गया।

5. सूर सरोवर पक्षी विहार को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा– 26 (ए) के अन्तर्गत उद्घोषणा हेतु प्रेषित उक्त प्रस्ताव पर मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने अपने कार्यालय पत्रांक 1967/10-1(बन्दोबस्त) दिनांक 11-01-2007 (संलग्नक– 8) द्वारा सूर सरोवर पक्षी विहार के धारा– 18 अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र से अधिक भूमि का प्रस्ताव होने के कारण इसे एक गम्भीर त्रुटि वताया तथा अधिनियम की धारा– 18 अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र 403.09 हे0 के आधार पर 26(ए) की उद्घोषणा हेतु संशोधित आलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

6. उक्त निर्देशानुसार पूर्व में निर्गत अधिसूचना में संशोधन करते हुए वन बन्दोवस्ती अधिकारी/जिलाधिकारी, आगरा द्वारा पुनः वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा– 25 अन्तर्गत सूरसरोवर पक्षी विहार की स्थापना सम्बन्धी उद्घोषणा दिनांक 30-03-2008 (संलग्नक– 9) को गयी। उद्घोषणा अनुसार पक्षी विहार की सीमा एवं सीमाबद्ध क्षेत्र को यथावत रखा गया जैसा कि प्रारम्भिक शासकीय विज्ञप्ति में था तथा सूरसरोवर पक्षी विहार के अन्तर्गत पक्षी विहार की सीमाओं में पड़ने वाली वन भूमि के साथ जलमग्न भूमि, आस-पास की ग्राम समाज/सरकारी भूमि को सम्मिलित किया गया , जिसका विवरण निम्नलिखित है:–

कीठम वन ब्लाक की भूमि	–	92.49 हे0
राजकीय भूमि/झील एवं बन्धा क्षेत्र	–	310.60 हे0
योग	–	403.09 हे0

वन बन्दोबस्ती अधिकारी/जिलाधिकारी, आगरा की उक्त उद्घोषण में भी 92.49 हे0 व 310.60 हे0 भूमि के गाटा नम्बरों व गाटावार क्षेत्रफल का उल्लेख नहीं है। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार कीठम वन ब्लाक का भारतीय वन अधिनियम 1927 अन्तर्गत कोई नोटिफिकेशन पूर्व से ही उपलब्ध नहीं है। आगरा वन प्रभाग की पूर्ववर्ती कार्ययोजना में दिये गये विवरण के अनुसार कीठम वन ब्लाक का क्षेत्रफल 93.10 हे0 है।

7. वन बन्दोवस्ती अधिकारी/जिलाधिकारी, आगरा की उक्त उद्घोषणा अनुसार, सूरसरोवर पक्षी विहार को वन्य प्राणि (संरक्षण) अधिनियम 1972 यथासंशोधित 2002 की धारा 26 'ए' के अन्तर्गत अन्तिम रूप से विज्ञाप्ति/अधिसूचित कराने हेतु प्रस्ताव, प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक 3132/10-2 (बन्दोवस्ती) दिनांक 6-5-2008 (संलग्नक– 10) द्वारा प्रमुख सचिव वन उ0प्र0, शासन, लखनऊ को प्रेषित किया गया।

8. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-41/2015 एवं ओ0ए0 संख्या-189/2014 उमा शंकर पटवा बनाम् यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 30-10-2018 के अनुपालन में मुख्य सचिव द्वारा उ0प्र0 शासन, वन एवं वन्यजीव अनुभाग– 4 के कार्यालय ज्ञाप सं0 2499/14-4-2018-800(60/2014) दिनांक 29-11-2018 द्वारा गठित कमेटी की बैठक दिनांक

29–11–2018 में लिए गये निर्णय के अनुपालन में सूर सरोवर पक्षी विहार की अधिसूचना के अनुसार सम्पूर्ण क्षेत्र की पैमाइश कराने हेतु जिलाधिकारी, आगरा के पत्रांक 1494/ओएसडी0 दिनांक 12–12–2018 द्वारा वन विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों की संयुक्त समिति गठित की गयी।

समिति द्वारा प्रस्तुत विस्तृत जाँच आख्या को जिलाधिकारी, आगरा के पत्रांक 1668/ दिनांक 12–03–2019 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित किया गया जिसे मुख्य सचिव द्वारा गठित उक्त समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 14–03–2019 में ग्राह्य (Accept) भी किया गया है तथा मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति की रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न है (संलग्नक– 11)। समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित विवरण के अनुसार पैमाइश में जरीब, जी0पी0एस0 इंस्ट्रूमेंट तथा ईटीएस मशीन का प्रयोग किया गया। पैमाइश हेतु राजस्व मानचित्र तथा वन मानचित्र को आधार बनाया गया। पैमाइश में गूगल अर्थ की भी सहायता ली गयी। नजरी नक्शा तैयार किया गया। प्रश्नगत् क्षेत्र के गूगल अर्थ से लिए गये मैप पर राजस्व मानचित्र को सुपरइम्पोज कर मानचित्र तैयार किया गया। खतौनियों तथा सुसंगत भू अभिलखों का अवलोकन किया गया। पैमाइश के लिए सूर सरोवर पक्षी विहार को कुल 23 भागों में त्रिभुजाकार आकृतियों में विभक्त कर पैमाइश की गयी जिसके अनुसार सूर सरोवर पक्षी विहार का क्षेत्रफल 415.019 हे0 पाया गया जो सूर सरोवर पक्षी विहार के कब्जे में है।

समिति की रिपोर्ट के पृष्ट संख्या 29 पर सूर सरोवर पक्षी विहार के अन्तर्गत आने वाली भूमि का ग्राम सभावार, गाटावार रकवा उल्लिखित है जो कि निम्नवत् है –

ग्राम	गाटा संख्या	रकबा (हे0 में)
सींगना बन्ध स्केप	613	200.8140
सींगना नहर	614	1.1520
चौमा फरह बन्ध स्केप	101	92.2770
चौमा फरह (रजवाहा निकास पानी)	99	0.6910
रूनकता बन्धा स्केप	04	121.9920
रूनकता गन्दा नाला	01	0.5990
रूनकता सर्विस रोड	18	0.9800
	योग –	418.5050

9. उपरोक्त गाटा नम्बरों की खतौनी प्राप्त की गयीं जिसकी छायाप्रति संलग्न है (संलग्नक– 12)। खतौनी के विवरण अनुसार सूर सरोवर पक्षी विहार अन्तर्गत आने वाले उपरोक्त 07 गाटा नम्बरों की स्थिति निम्नवत् है –

क्र0सं0	गाटा संख्या	रकवा (हे0 में)	ग्राम	भूमि का प्रकार	नाम मालिकान
1	613	200.8140	सींगना	बन्ध स्केप	मिलिकीयत सरकार महकमा नहर
2	614	1.1520	सींगना	नहर	मिलिकीयत सरकार महकमा नहर
3	101	92.2770	चौमा फरह	बन्ध स्केप	मिलिकीयत सरकार
4	99	0.6910	चौमा फरह	रजवाहा निकास पानी	मिलिकीयत सरकार
5	04	121.9920	रूनकता	बन्धा स्केप	मिलिकीयत राजकीय
6	01	0.5990	रूनकता	गन्दा नाला	मिलिकीयत राजकीय
7	18	0.9800	रूनकता	सर्विस रोड	मिलिकीयत राजकीय
	योग –	418.5050			

10. यहाँ यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि दिनांक 27–03–1991 को सूर सरोवर पक्षी विहार की धारा– 18 की अधिसूचना के पूर्व से ही सूर सरोवर पक्षी विहार में अवस्थित कीठम लेक से सिंचाई विभाग द्वारा पाइप लाइन के द्वारा मथुरा रिफाइनरी, मथुरा को पानी की निरन्तर आपूर्ति की जा रही है। वर्ष के विभिन्न माहों में कीठम झील का जलस्तर भी मथुरा रिफाइनरी, वन विभाग व सिंचाई विभाग की आपसी सहमति से ही अस्थाई रूप से नियत हुआ है। इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड

(रिफाइनरी एण्ड पाइप लाइन डिवीजन) व अधिशाषी अभियन्ता, कन्सट्रक्शन डिवीजन मथुरा के मध्य का... एक्ट 1956 के अन्तर्गत दिनांक 04-09-1981 को कीठम लेक से मथुरा रिफाइनरी को जलापूर्ति हेतु 25 वर्षीय अनुबंध किया गया छायाप्रति संलग्न है (संलग्नक- 13)। अनुबंध के विन्दु 17 के अनुसार यह अनुबंध अधिकतम 25 वर्ष के लिए था अर्थात यह अनुबंध दिनांक 03-09-2006 को समाप्त हो चुका है।

वर्तमान में सम्बन्धित गाटा नम्बरों का स्वामित्व नहर/सिंचाई विभाग के नाम है। सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, आगरा की धारा-26 की अधिसूचना के समय सम्बन्धित गाटा नम्बरों के मालिकाना हक, मथुरा रिफाइनरी को की जाने वाली जलापूर्ति, झील के जल स्तर का निर्धारण, भविष्य में इसके क्रियान्वयन की विधि, मथुरा रिफाइनरी से सिंचाई विभाग को प्राप्त होने वाले राजस्व आदि तथा इस संबंध में विभाग के हितों पर भी विचार करते हुए धारा- 26 (क) अन्तर्गत अन्तिम विज्ञप्ति निर्गत कराने की कृपा करें।

भवदीय

संलग्नक :- यथोपरि

उप वन संरक्षक
राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट,
उ0प्र0, आगरा

पत्रांक : 404 /10-1(बन्दोबस्त), समदिनांकित।

प्रतिलिपिः- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप वन संरक्षक
राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट,
उ0प्र0, आगरा

0/c

Enclosure: 9

File No.1-5/2020WL(Part)

F.No.1-5/2020 WL(Part)
Government of India
Ministry of Environment, Forests and Climate Change
(Wildlife Division)

Indira Paryavaran Bhawan
Vayu Wing, Jor Bagh Road, Aliganj
New Delhi-110003
Date: September, 2020

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Constitution of a Joint Committee to resolve the issue of area of Soor Sarovar Wildlife Sanctuary in compliance of order of the Hon'ble National Green Tribunal dated 18.09.2020 in O.A No. 41/2015 and OA No.189/2014 titled Umashankar Patwa & Ors vs. Union of India & Ors. -reg.

The undersigned is directed to refer to the subject and order of the Hon'ble National Green Tribunal cited above. In the order dated 18.09.2020 in O.A. No. 41/2015 and OA No.189/2014 titled Umashankar Patwa & Ors vs. Union of India & Ors. has observed the following:

"We find that even though the protected area described by the blue line in the map is 403.09 ha, the area of the sanctuary is said to be 1020.25 ha, which includes 403.09 ha. There are constructions outside 403.09 ha but within 1020.25 ha. If they are part of the Wild Life Sanctuary, under Section 27 of the Wild Life (Protection) Act, 1972, such constructions are not allowed and are illegal unless the boundary of the wildlife sanctuary itself is changed under Section 26A of the Act. The constructions in question are said to be after the 1991 notification. Thus, either it should be clearly declared that the area is part of the wildlife sanctuary and in such case all constructions in the said area should be removed or the boundary of the wildlife sanctuary itself should be appropriately demarcated and laid down."

Hon'ble National Green Tribunal has directed as follows:

"Let this be done by a joint Committee of Chief Wildlife Warden, UP, nominees of National Board for Wildlife and Forest Division of MoEF&CC. The nodal agency will be the nominee of the National Board for Wildlife for coordination and compliance. The first meeting of the Committee may be held (either physical or virtual) within one month from today. The State of UP may provide all necessary assistance to the Committee to execute its work. Report may be furnished by the Committee to this Tribunal within three months."

2. In compliance of aforesaid mentioned directions of the Hon'ble National Green Tribunal dated 18.09.2020, the following Joint Committee is hereby constituted:

a. Chief Wild Life Warden, Uttar Pradesh

b. Shri P.K. Kaul, Technical Officer, Forest Conservation Division, MOEF&CC

c. The Director, Wildlife Institute of India, Dehradun, representative of National Board for Wild Life - Member -Convener

3. There is a conflict regarding the correct area of the Soor Sarovar Bird Sanctuary and

its subsequent eco-sensitive zone notification. The committee shall guide itself as per the observations made by the Hon'ble National Green Tribunal in the aforesaid mentioned order.

4. The first meeting of the Committee shall be held (either physical or virtual) 18.10.2020.

5. The Government of Uttar Pradesh shall provide all necessary assistance to the committee to execute its work.

6. The Committee shall submit the report to the Hon'ble National Green Tribunal within 3 months by e-mail at judicial-ngt@gov.in, preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF with a copy to this Ministry.

Encl. Order dt. 18.09.2020

(Rakesh Kumar Jagenia)
Deputy Inspector General (Wildlife)
E-mail: digwl-mefcc@nic.in
Telefax: 011- 24695390

Distribution: All Members of the Committee.

Copy for kind information to:

1. PPS to DGF&SS, MoEF&CC
2. Principal Secretary, Uttar Pradesh Forest Department, Lucknow
3. The Principal Chief Conservator of Forests & HoFF, Government of Uttar Pradesh, Lucknow
4. PPS to ADG(WL), MoEF&CC
5. PPS to ADG(FC), MoEF&CC
6. PPS to IGF (WL)/ PS to JD(WL)/ PA to Scientist -JD(WL)

Validity unknown

Digitally signed by RAKESH KUMAR JAGENIA
Date: 2020.10.05 18:32:58 IST

Minutes of the 2nd Meeting of the Joint Committee to resolve the Issue of area of Soor Sarovar Bird Sanctuary in compliance of order of the Hon'ble National Green Tribunal dated 18.09.2020 in O.A No. 41/2015 and OA No.189/2014 titled Umashankar Patwa & Ors vs. Union of India & Ors. held on 01 December, 2020 at Soor Sarovar Bird Sanctuary, Agra, Uttar Pradesh

The 2nd and concluding Meeting of the Joint Committee to resolve the issue of area of Soor Sarovar Bird Sanctuary in compliance of order of the Hon'ble National Green Tribunal dated 18.09.2020 in O.A No. 41/2015 and OA No.189/2014 titled Umashankar Patwa & Ors vs. Union of India & Others was held on 01.12.2020 at Agra, Uttar Pradesh. The following committee members were present in the meeting:

1.	Shri Neeraj Kumar, Chief Conservator of Forests, Eco-development, Uttar Pradesh as representative of Chief Wild Life Warden, Uttar Pradesh	*Member*
2.	Shri P.K. Kaul, Technical Officer, Forest Conservation Division, MOEF&CC	*--do--*
3.	Dr. Dhananjai Mohan, Director, Wildlife Institute of India Dehradun	*Member-Convener*

The following points were discussed amongst the committee members:

1. Soor Sarovar Bird Sanctuary was declared on 27.03.1991 through a notification of Government of Uttar Pradesh (**Annexure-I**). As per the notification, the area included was mentioned as 403.09 ha. Also as per the notification, the bounded area of the Sanctuary was also described but the boundary was not described in detail. Three out of four directions just mentioned the limits of the boundary as the outer boundaries of three villages- Singna, Runakta and Nagla-Bhopla. On the southern side it mentioned National Highway (NH) No. 2 as boundary. Although the area was given precisely the boundaries were not given in detail which left a lot to interpretation and as a result confusion over the boundaries exists even today.

2. This notification was done a few months before the 1991 amendment to Wildlife (Protection) Act, 1972 came into existence. This notification under Section 18 was a proper notification and the settlement was to follow after this. After 1991 amendment, since the areas described in the notification were majorly non-forest areas, the notification was' analogous to as intentional notification as per the act post 1991 amended which is the present form of the act. Therefore, the settlement process (section 19 to 25) was to be undertaken and finally notification under section 26 was required to be issued by the state Govt. So, as per this process two major steps were taken by the collector -

   a. The proclamation under Section 21 to invite claims was issued on 26.05.1997 (**Annexure-II**). Even in the proclamation the same boundary descriptions and same area was mentioned as the notification dated 27.03.1991.

   b. Thereafter on 30.03.2008 a proclamation under Section 19 to 25 of the Act was made by the collector (**Annexure-III**) which again reiterated the same boundary and extent of area and also said that two months given in proclamation on 26.05.1997 had expired without any claim being preferred from anybody. Besides this, the proclamation gave a break-up of the area of the sanctuary as follows:

Land of the Keetham Forest Block:	92.49 ha
Govt. land/Lake and dam area :	310.60 ha
Total	**403.09 ha**

   The above break-up of the area clearly indicated that major part of the sanctuary was non-forest. The collector further proclaimed in the proclamation that the Soor Sarovar Bird sanctuary besides forest lands includes only submerged land and nearby *gram samaj*/Govt. land. It is therefore implied that the sanctuary excluded any private land.

3. In compliance of Hon'ble NGT order dated 18.09.2020, a committee was constituted by MoEFCC through an office memorandum no F.No.1-5/2020 WL.

(Part) dated 06th October comprising the following to resolve the issue of area of Soor Sarovar Wildlife Sanctuary:

a. Chief Wildlife Warden, Uttar Pradesh

b. Sh P K Kaul, Technical Officer, FC Division, MoEFCC

c. The Director Wildlife Institute of India, Dehradun, representative of National Board of Wildlife- Member Convener

4. The committee held first meeting on 16.10.2020 through virtual mode (minutes enclosed as **Annexure-IV**) and the second meeting physically held on 01.12.2020 at Agra. The committee also visited the site during the second meeting. After visiting the area and studying the maps and records, the committee members also had discussions with local officials of forest department. The committee realizes that this sanctuary is primarily known for the wetland popularly called Keetham reservoir or Keetham lake which is fed by Agra canal and has an outlet into the Yamuna river. The wetland is very rich in birdlife and attracts a large number of breeding as well as migratory water birds and one of the important species of conservation significance that occurs here in good numbers is the oriental darter.

5. In compliance of the Hon'ble NGT order dated 30.10.2018 in the Application No 14/2015 (MA No 100/2015) and Application No 189/2014 (MA no 654/2014 and MA No 356/2017) Uma Shankar Patwa Vs Union of India and others, another committee was constituted on 29.11.2018 by Chief Secretary, Govt. of Uttar Pradesh, comprising of Principal Secretary, Revenue, Government of Uttar Pradesh; Principal Secretary, Forest and Wildlife UP; PCCF (HoFF) UP with CWLW, UP as member secretary. The committee had to decide whether Anand Technology College, Agra and Hindustan Institute of Technology and Management, Agra are located within the Soor Sarovar Bird Sanctuary or not. The committee opined (**Annexure-V**) that these private engineering colleges are located outside the area of 403.09 ha of the sanctuary as given in the notification but is located within the '*chowhaddi*' of the sanctuary as given in the notification. It is clear from this decision of the committee that the area of the sanctuary and the *chowhaddi* did not match. Thus the shortcoming in the

the 1991 notification of the sanctuary when the word 'outer boundary was used, it meant the boundary of the village adjoining the above mentioned area of 799.063 ha.

7. In case of the southern boundary of the sanctuary, the notification of the sanctuary clearly says that the boundary is that of National Highway-2 (NH-2). This definitely is an unambiguous boundary. However, on studying the map and the ground situation and further as informed by the DCF, National Chambal Project Sanctuary, Agra and his staff the area between the wetland along with the forest area controlled and managed by Forest Department and the NH-2 is not under the Forest Department's ownership and possession. There is a substantial area which is under private ownership and belongs to the village *Arsena* which does not seen to have been addressed well, during the settlement process.

8. As a notification u/s 26 for the sanctuary is yet to be issued, the sanctuary is not a finally notified sanctuary.

9. The Gazette notification of Eco Sensitive Zone (ESZ) of Soor Sarovar Bird Sanctuary (SSBS) was issued on 10.10.2019 which mentions an area of 4.030 square kilometre for the bird sanctuary with a one kilometer uniform buffer around it as its ESZ in an area of 10.20 square kilometers. Owing to the inconsistency in the boundary description of the SSBS, the ESZ expert committee of MoEFCC in its meeting dated 16.03.2020 recommended to keep the final notification which was already issued, on hold and to de- notify it, as there was an ambiguity in the area of the SSBS.

10. It is therefore recommended that–

i) Since, in the notification of the sanctuary under section 18, the described area of the sanctuary and the boundary of the sanctuary do not match so it needs modification.

ii) Since the settlement process of the SSBS has not addressed the issue of boundary and rights properly, therefore the action under section 21 to 25 may be reconsidered and a clear Map indicating the proposed boundary pillars on the boundary of SSBS along with their forward and backward bearings may also be given.

iii) The committee feels that the outer boundary of the three villages on east (Runakta), west (Nagla-Bhopla) and north (Singna) should be considered as the boundary abutting the composite of wetland (403.09 ha), Soordas Reserve Forest Block (380.558 ha) and Government land (15.415 ha) totaling to 799.063 ha.

iv) As recommended by the ESZ expert committee, the ESZ notification of the areas around SSBS should be kept on hold and de-notified and fresh notification may be brought out only after the finalization of the sanctuary boundaries after final notification of the sanctuary under section 26, Wildlife (Protection) Act 1972.

****

Enclosure: 10

Item No. 03 & 04

Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

(By Video Conferencing)

Original Application No. 41/2015

Umashankar Patwa & Ors. Applicant(s)

Versus

Union of India & Ors.
(Earlier titled as D.K. Joshi Vs. Union of India & Ors.) Respondent(s)

With

Original Application No. 189/2014

Umashankar Patwa & Ors. Applicant(s)

Versus

Union of India & Ors.
(Earlier titled as D.K. Joshi Vs. Union of India & Ors.) Respondent(s)

Date of hearing: 01.06.2021

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ADARSH KUMAR GOEL, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE MR. JUSTICE M. SATHYANARAYANAN, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE MR. JUSTICE BRIJESH SETHI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. NAGIN NANDA, EXPERT MEMBER

Applicant(s): Mr. Raj Panjwani, Senior Advocate with Mr. Rahul Choudhary, Advocate

Respondent(s): Mr. Divya Prakash Pandey, Advocate for MoEF&CC.
Mr. Bhanwar Pal Singh, Advocate for State of UP
Mr. Pradeep Misra, Advocate and Mr. Daleep Dhyani, Advocate for UPPCB.
Mr. Ajit Sharma, Advocate for Anand Engineering College and Hindustan Institute of Technology & Management.
Mr. Anant Ram Mishra, Advocate

ORDER

1. The question for consideration is whether Hindustan Institute of Technology & Management, Agra (HIT) (Respondent No. 5 in O.A. No. 41/2015) and Anand Engineering College, Agra (AEC) (Respondent No. 5

in O.A. No. 189/2014) are within the Wildlife Sanctuary notified by the State of Uttar Pradesh as "Soor Sarovar Bird Sanctuary" vide Notification dated 27.03.1991 in District Agra, under Section 18 of the Wild Life (Protection) Act, 1972. If it is within the Wildlife Sanctuary, restrictions under Section 27 will apply and the setting up of the said colleges itself may be questionable.

2. The matter has been considered by the Tribunal on several occasions in the last seven years. On 09.04.2019, after referring to the earlier proceedings, the Tribunal observed:

> *"8. We are of the view that opinion of the MoEF&CC may be required on the following issues:*
>
> *i. Whether the restriction under the Wild Life (Protection) Act, 1972 will apply to the entire area, including the area beyond 403.09 ha indicated by blue line.*
>
> *ii. Whether any restriction applies to the area outside the protected area of '403.09 ha'. This question may also require consideration of safety zone or buffer zone adjacent to the Bird Sanctuary. We also find from the document 'Eco-Sensitive Zone of Soor Sarovar Bird Sanctuary' that area of ESZ is 1020.25 ha while the protected area proposed is 403.09 ha.*
>
> *iii. Further question will be regulation of other structures or activities falling in the proposed ESZ and the mitigation steps required and proposed.*
>
> *9. The MoEF&CC may furnish its report in the matter within two months by e-mail at ngt.filing@gmail.com. State of UP/Chief Wild Life Warden, UP may provide copies of relevant official record within two weeks to MoEF&CC."*

3. The matter was last considered on 18.09.2020 in the presence of Advisor, MoEF&CC. It was found that there were conflicting interpretations about the area covered by the restrictions under Section 27 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 which were required to be resolved by a joint Committee comprising Chief Wildlife Warden, UP and nominees of National Board for Wildlife and Forest Division of MoEF&CC. Operative part of the said order is as follows:-

"3. We have today heard the matter again with the assistance of Advisor, MoEF&CC, who is present in person and who has also had some discussion with the Department of Wildlife. He submits that there is discrepancy which needs to be resolved by the State Government, with the assistance of the concerned central authorities. We find that even though the protected area described by the blue line in the map is 403.09 ha, the area of the sanctuary is said to be 1020.25 ha, which includes 403.09 ha. There are constructions outside 403.09 ha but within 1020.25 ha. If they are part of the Wild Life Sanctuary, under Section 27 of the Wild Life (Protection) Act, 1972, such constructions are not allowed and are illegal unless the boundary of the wildlife sanctuary itself is changed under Section 26A of the Act. The constructions in question are said to be after the 1991 notification. Thus, either it should be clearly declared that the area is part of the wildlife sanctuary and in such case all constructions in the said area should be removed or the boundary of the wildlife sanctuary itself should be appropriately demarcated and laid down.

4. Let this be done by a joint Committee of Chief Wildlife Warden, UP, nominees of National Board for Wildlife and Forest Division of MoEF&CC. The nodal agency will be the nominee of the National Board for Wildlife for coordination and compliance. The first meeting of the Committee may be held (either physical or virtual) within one month from today. The State of UP may provide all necessary assistance to the Committee to execute its work. Report may be furnished by the Committee to this Tribunal within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in, preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF, and not in the form of Image PDF."

4. Accordingly, the joint Committee, in terms of above order, has filed its report dated 27.01.2021. In substance, it is stated that the Notification in question dated 27.03.1991 was issued under Section 18 of the 1972 Act, which was intended to be a proposal, as per the statutory scheme then prevalent. Soon thereafter, an amendment was made due to which separate final Notification was not considered necessary. Notification dated 30.03.2008 was issued under Sections 19 to 25 of the Act reiterating the same boundary, without considering the objections and claims. However, breakup of the sanctuary area was given as follows:-

"Land of the Keetham Forest Block: 92.49 ha

Govt. land/Lake and dam area: 310.60 ha

Total: 403.09 ha"

5. After the last order of this Tribunal, the Committee met and visited the site and found that the wetland fed by Agra canal attracted the birds. The Engineering Colleges in question were outside 403.09 hectare of the sanctuary but within total landscape of 799.063 hectare. Since the village land was also included within the area of 799.063 hectare, the entire area could not be intended to be part of the sanctuary as such case section 27 could not be enforced. Substantial area was under private ownership and belongs to village Arsena. This issue remained unaddressed during settlement process. Notification under Section 26 was required to be issued, treating the earlier Notification as a proposal. There was also conflict in the Notification of Eco Sensitive Zone (ESZ) of Soor Sarovar Bird Sanctuary (SSBS) dated 10.10.2019 and the boundary description of SSBS on account of which ESZ Notification has been put on hold. The report concludes with following recommendation:

> "i) *Since, in the notification of the sanctuary under section 18, the described area of the sanctuary and the boundary of the sanctuary do not match so it needs modification.*
>
> ii) *Since the settlement process of the SSBS has not addressed the issue of boundary and rights properly, therefore the action under section 21 to 25 may be reconsidered and a clear Map indicating the proposed boundary pillars on the boundary of SSBS along with their forward and backward bearings may also be given.*
>
> iii) *The committee feels that the outer boundary of the three villages on east (Runakta), west (Nagla-Bhopla) and north (Singna) should be considered as the boundary abutting the composite of wetland (403.09 ha), Soordas Reserve Forest Block (380.558 ha) and Government land (15.415 ha) totaling to 799.063 ha.*
>
> iv) *As recommended by the ESZ expert committee, the ESZ notification of the areas around SSBS should be kept on hold and de-notified and fresh notification may be brought out only after the finalization of the sanctuary boundaries after final notification of the sanctuary under section 26, Wildlife (Protection) Act 1972."*

6. As against above, the applicant has filed submissions in the nature of objections to the report. It is submitted that Notification under Section 18 has to be treated as final Notification and any modification thereof is prohibited under Section 26A(iii). No objections were filed before the Collector in spite of proclamation by the Collector under Section 22 of the Act dated 26.05.1997 and thereafter on 10.07.2003 and 20.03.2008. It is further submitted that Section 20 of the Act created a bar against acquisition of any right after Notification under Section 18. It is further stated that College adjoins the boundary of the sanctuary. Even though the land was acquired in 1997, the construction took place in 2011. The stand that construction took place in 1997 was contradicted by the reply of UPPCB to the effect that construction was still going on in 2009. Moreover, purchase of land in the year 1997 was by itself illegal, being after Notification under Section 18. Further reference has been made to the orders of the Hon'ble Supreme Court dated 13.11.2000 in I.A. No. 2 in *W.P(C) No. 337/1995, Centre For Environmental Law, WWF-India v. Union of India & Ors.*[1] and dated 05.10.2015 in IA No. 2365 in 1406/2005 in W.P. (C) No. 202/1995, *T.N. Godavarman Thirumulpad v. Union of India & Ors.* to the effect any de-notification of a Sanctuary/National Park should be after reference to the National Board for Wildlife and Forest. Thus, recommendation for excluding the area of illegal constructions from the sanctuary was legally impermissible.

7. Learned Counsel for the applicant also submitted that in case the authorities are to issue any further Notification/Order, altering/clarifying the boundary of the wildlife sanctuary, procedure laid down by the

---

[1] 2000 SCC OnLine SC 119

Hon'ble Supreme Court must be followed and injunction issued against any further constructions in the entire notified area of the sanctuary.

8. We have considered the matter with the assistance of Mr. Raj Panjwani, learned Senior Counsel for the applicant as well as learned Counsel appearing for the MoEF&CC, the State PCB and the private respondents, concerned. While Shri Panjwani opposed the report of the Committee and supported the submissions filed by the applicant, learned Counsel for the respondents support the report but agree that pending finalisation of the notification, there should be no constructions in the entire area in section 18 of the Notification and due, including directions of the Hon'ble Supreme Court, may be followed.

9. We find that originally Notification was issued under Section 18 which only envisaged a proposal. There was scope for objections in the final Notification particularly as there existed a village in the boundary of the notification. Two interpretations are possible about applicability of section 27 restrictions to the village and the constructions beyond 403.09 ha area. Thus, section 18 of the Notification could not be treated as final. Even if we accept the plea that present constructions were in the year 2011 and the petition filed in the year 2014 was within limitation, we find it difficult to hold that the claim for demolition of all constructions falling beyond 404.09 ha area is established. Even apart from the colleges in question there is whole village habitation which stands on the same footing as these colleges and the constructions exist even prior to the notification. It could not be intention of law to allow such constructions within the sanctuary limits and debar other constructions therein. Thus, the expert committee report has sound basis in recommending that the matter needs to be finalised by taking

further necessary steps. The recommendations have to held to be justified on principle, on taking a pragmatic view. As already noted, the Committee has rightly observed that there are large scale constructions existing even prior to Section 18 of the Notification outside the core area of the sanctuary in question. Thus, the confusion needs to be resolved by an appropriate final notification in accordance with law. Infact, this should have been done long back in which case such litigation could have been avoided. To that extent, the concerned authorities have failed to perform their duty.

10. Accordingly, we direct that the pending matter be finalized by the authorities concerned within three months and pending such finalization no further construction be allowed. Needless to say that all further steps which may be taken must be in accordance with law and compliant with the directions of the Hon'ble Supreme Court on the subject.

The applications stand disposed of. However, if there is any grievance against any further order which may be passed, the aggrieved parties will be at liberty to take remedies in accordance with law.

Adarsh Kumar Goel, CP

Sudhir Agarwal, JM

M. Sathyanarayanan, JM

Brijesh Sethi, JM

Dr. Nagin Nanda, EM

June 01, 2021
OA No. 41/2015 & OA No. 189/2014
AVT

Enclosure: 11

ITEM NO.1 Court No.1 (Video Conferencing) REVISED
SECTION PIL-W

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
RECORD OF PROCEEDINGS

Writ Petition(s)(Civil) No(s).13381/1984

M.C. MEHTA Petitioner(s)

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS. Respondent(s)

(IN RE: TAJ TRAPEZIUM ZONE(1) IA NO. 42482/2020 (APPLN. FOR MODIFICATION OF ORDER DT. 06.12.2019 ON BEHALF OF STATE OF U.P.)

(2) IA NOS. 196157, 196158 AND 196159/2019 (APPLNS. FOR INTERVENTION, DIRECTIONS AND EXEMPTION FROM FILING O.T. ON B/O DR. SHARAD GUPTA)

(3) IA NOS. 183912, 183918 183919/2019 (APPLNS. FOR INTERVENTION, DIRECTIONS AND EXEMPTION FROM FILING O.T. ON BEHALF OF DR. SHARAD GUPTA)

(4) IA NOS. 77043, 77049 AND 77053/2020 (APPLNS. FOR IMPLEADMENT, DIRECTIONS AND EXEMPTION FROM FILING O.T. ON B/O DR. SHARAD GUPTA)

(5) IA NOS. 172361, 172378, 172379/2018, 10370 AND 10371 OF 2021 (APPLNS. FOR INTERVENTION, DIRECTIONS AND EXEMPTION FROM FILING O.T. ON B/O AGRA NAGAR NIGAM "ONLY" IN W.P. (C) NO. 13381/1984

Date : 18-02-2021 This petition was called on for hearing today.

CORAM :
HON'BLE THE CHIEF JUSTICE
HON'BLE MR. JUSTICE A.S. BOPANNA
HON'BLE MR. JUSTICE V. RAMASUBRAMANIAN

Counsel for the parties:

Mr. A.D. N. Rao,Adv.

Mr. Anil Katiyar,Adv.

Mr. M.K. Maroria,Adv.

Mr. Tushar Mehta,SG
Ms. Aishwarya Bhati,ASG
Mr. G.S. Makker,Adv.
Mr. D.L. chidananda,Adv.
Ms. Suhasini Sen,Adv.

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhu Bala
Date: 2021.02.23 16:35:17 IST
Reason:

Mr. Gaurav Goel, AOR
Mr. Rajesh Kumar,Adv.
Mr. Anshul Gupta,Adv.
Mr. Deepesh Raj,Adv.
Mr. Nihaar Reddy,Adv.

Mr. Nischal Kumar Neeraj, AOR

M/S. Gsl Chambers, AOR

Ms. Aparna Bhat, AOR

Mr. Gaurav Agrawal, AOR

Mr. Arvind Kumar Sharma, AOR

Mr. Raghvendra Singh,Adv.General,UP
Ms. Aishwarya Bhati,ASG
Mr. Shantanu Krishna, AOR
Mr. Kumar Ayush,Adv.
Mr. Shashank Shukla,Adv.

Dr. Manish Singhvi, Sr. Adv.
Mr. Sandeep Kumar Jha, AOR

UPON hearing the counsel the Court made the following

O R D E R

I.A NO. 42482/2020

List this I.A. after two weeks along with I.A. No. 6853 of 2021 as mentioned by Mr. Abhay Gupta, learned counsel.

I.A NOS. 196157, 196158 AND 196159/2019

The proposal in these interlocutory applications may be vetted by Central Empowered Committee (CEC).

Ordered accordingly.

List these I.As after four weeks.

IA NOS. 183912, 183918 183919/2019

At the request of Ms. Aishwarya Bhati, learned Additional General for the respondent-State, list these I.As after six weeks.

Enclosure: 12

CENTRAL EMPOWERED COMMITTEE

(CONSTITUTED BY THE HON'BLE SUPREME COURT OF INDIA

II Floor, Chanakya Bhawan, Chankayapuri, New Delhi – 21, Tel: 2161 0612, 2161 0613 Fax : 2410 1925

Email cecindia202@gmail.com, Website: www.cecindia.nic.in

F.No: 1-19/CEC/SC/2020-Pt. (60) Dated: 25th November 2021

To

The Registrar
Supreme Court of India
New Delhi-110001
(Attn: PIL Section)

SUB: CEC REPORT NO. 17 OF 2021 – Report of the CEC in I.A No 196157, I.A No. 196158 and I.A No. 196159 of 2019 in W.P.(C) No. 13381 of 1984 filed by Applicant Dr. Sharad Gupta on 11.12.2019 before the Hon'ble Supreme Court seeking directions of the Hon'ble Court to cancel the Eco-Sensitive Zone (ESZ) Notification dated 10th October, 2019 issued by the Government of India, Ministry of Environment, Forests and Climate Change in respect of the Soor Sarovar Bird Sanctuary located in District Agra, Uttar Pradesh falling in the Taj Trapezium Zone (TTZ).

Sir,

The Report No. 17 of 2021 I.A No 196157, I.A No. 196158 and I.A No. 196159 of 2019 in W.P.(C) No. 13381 of 1984 of the Central Empowered Committee on the above subject is enclosed (Four copies). It is requested that the Report may please be placed before the Hon'ble Court.

Yours faithfully

(Amarnatha Shetty)
Member Secretary

Copy to:

1. Mr. Harish N. Salve, Sr. Advocate & Amicus Curiae.
2. Mr. A.D.N. Rao, Advocate & Amicus Curiae.
3. Mr. Siddhartha Choudhary, Advocate & Amicus Curiae
4. Secretary, Ministry of Environment , Forests & Climate Change New Delhi
5. Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, Lucknow
6. Principal Chief Conservator of Forests, U.P. Forest Department, Lucknow
7. Chairman, TTZ Agra, UP
8. Mr. M.C.Mehta, Petitioner in W.P. (C) No. 13381 of 1984
9. Standing Counsel for the MoEF&CC
10. Standing Counsel for the Uttar Pradesh
11. Applicant through their Advocate on Record in I.A. No.196157, 196158 and 196159 of 2019 in W.P. (C) 13381 /1984

C.C.

27/11/2021

CENTRAL EMPOWERED COMMITTEE

REPORT No. 17 of 2021

IN

I.A. No. 196157, 196158
and 196159 of 2019

IN

W.P. (C) No. 13381 of 1984

Filed by:-
Dr. Sharad Gupta

Dated: 25th November 2021

Wildlife (Protection) Act, 1972 there are no grounds for interference.

21. Keeping in view the facts and discussions in the preceding paragraphs, it is recommended for consideration of this Hon'ble Court that the Eco Sensitive Zone Notification dated 10.10.2019 issued by the MoEF&CC may not be interfered with and this Hon'ble Court may consider directing the State of Uttar Pradesh to

i) Notify 403.09 ha of Soor Sarovar Bird Sanctuary (SSBS) under Section 26(A) of the Wildlife (Protection) Act, 1972 after describing the limits of the area which shall be comprised within the Sanctuary in terms of survey numbers of the lands comprised within the SSBS and describe the boundary in terms of boundary pillars on east, west, south and north of the proposed Soor Sarovar Bird Sanctuary along with their forward and backward bearings within a period of two months from the date of order of this Hon'ble Court.

ii) Consider extending the area of the Soor Sarovar Bird Sanctuary (SSBS) by Including the Surdas Reserve Forest block of 380.558 ha and 15.514 ha of the government land which currently forms the buffer zone of the Sanctuary outside the proposed boundary of the Sanctuary after following the procedure under sections 18 to 25 of the Wildlife (Protection) Act, 1972.

This Hon'ble Court may please consider the above Report and may please pass appropriate orders in the matter.

(Amarnatha Shetty)
Member Secretary

Dated: 25th November, 2021

Enclosure: 13

ITEM NO.2 COURT NO.3 SECTION PIL-W

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
RECORD OF PROCEEDINGS

Writ Petition(s)(Civil) No(s). 13381/1984

M.C. MEHTA Petitioner(s)

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS. Respondent(s)

(IN RE: TAJ TRAPEZIUM ZONE(1) IA NOS. 91272/2022 IN IA NO. 487/2009 (APPLN. FOR DIRECTIONS ON BEHALF OF TAJ WESTERN GATE MARKET ASSN.)"ONLY" IN W.P. (C) NO. 13381/1984 ARE LISTED."ONLY" NAMES OF THE FOLLOWING ADVOCATES MAY BE TREATED TO HAVE BEEN SHOWN IN THE LIST.PETITIONER-IN-PERSONMR. A.D.N. RAO, SR. ADVOCATE (A.C.)MR. VIJAY PANJWANI, SR. ADVOCATE MR. AMRISH KUMAR,MR. M.K. MARORIA,MR. G.S. MAKKER, MR. KAMLENDRA MISHRA, MR. M.C. DHINGRA, ADVOCATES)

THE FOLLOWING REMARKS TREATED TO HAVE BEEN SHOWN AGAINST ITEM NO. 2 I.E. W.P.(C) No. 13381/1984 "---
IN RE: TAJ TRAPEZIUM ZONE---- (1) 51269/2017 (APPLN. FOR PERMISSION REGARDING FELLING OF TREES ON B/O PUBLIC WORKS DEPTT., STATE OF U.P.)

(2) REPORT NO. 15/2021 SUBMITTED BY CENTRAL EMPOWERED COMMITTEE I.A. NO. 1448/2021

REPORT NO. 16/2022
(3) I.A. NO. 132820/2020 (APPL. FOR PERMISSION REGARDING FELLING OF TREES ON BEHALF OF NORTH CENTRAL RAILWAY)

REPORT NO. 17/2021
(4) IA NOS. 196157, 196158 AND 196159/2019 (APPLNS. FOR INTERVENTION, DIRECTIONS AND EXEMPTION FROM FILING O.T. ON B/O DR. SHARAD GUPTA)

REPORT NO. 19/2022
(5) IA NOS. 44266 AND 44268/2022
(APPLICATIONS FOR PERMISSION FOR FELLING OF TREES AND EXEMPTION FROM FILING. O.T. ON BEHALF OF YOGIRAJ SARKAR GODARIWALE TRUST) "ONLY" NAMES OF THE FOLLOWING ADVOCATES MAY BE TREATED TO HAVE BEEN SHOWN IN THE LIST. MR. L.R. SINGH, MR. GAURAV GOEL MR. GUNTUR PRAMOD KR. ADVOCATES ".

NOS. 81951/2022 -FOR PERMISSION TO CUT AND REMOVE THE TREES

I.A. NO. 85203/2022- APPROPRIATE ORDERS/DIRECTIONS

Date : 23-09-2022 This matter was called on for hearing today.

CORAM :
HON'BLE MR. JUSTICE SANJAY KISHAN KAUL
HON'BLE MR. JUSTICE ABHAY S. OKA

REPORT NO. 19/2022 (IA NOs. 44266/2022 & 44268/2022)
REPORT NO. 17/2021 (IA NOS. 196157-196159/2019)

Since the reports of CEC are accepted without any objection, I.A. Nos. 51269/2017, 132820/2020, 44266/2022 and IA NOS. 196157-196159/2019 stand disposed of. **I.A. NOS. 81951/2022 -FOR PERMISSION TO CUT AND REMOVE THE TREES**

IA NO. 91272/2022

Learned counsel for the applicant(s) seeks to raise issues arising in IA No. 487/2009 and IA No. 91272/2022.

Learned Amicus Curiae submits that insofar as prayer „A" in the latter application is concerned, there can be no quibble with the proposition that the direction may be issued as prayed for, but insofar as the prayer „B" is concerned, that is the matter of fixation of licence fee which does not form the subject matter of proceedings before this Court.

We thus dispose of I.A. No.91272/2022 with a direction in terms of prayer „A" leaving it to the applicant(s) to work out their remedies qua prayer „B" in appropriate proceedings.

However, insofar as IA No. 487/2009 is concerned, there appears to be absence of some clarity on the part of the respondent(s) which is required to be explained, more so, in view of the

Enclosure: 14

Item No. 02 Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 529/2023

Dr. Sharad Gupta Applicant

Versus

Union of India & Ors. Respondent(s)

Date of hearing: 24.08.2023

CORAM: **HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON**
HON'BLE MR. JUSTICE SHEO KUMAR SINGH, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER

Applicant: Mr. Anshul Gupta & Mr. Ravi Shandilkar, Advs.

ORDER

1. The matter relates to expand the area of Soor Sarovar Birds Sanctuary located in District Agra, Uttar Pradesh falling in Taj Trapezium Zone (TTZ). The submission of learned Counsel for the applicant is that the report of the Central Empowered Committee (CEC) has been accepted by the Hon'ble Supreme Court by order dated 23.09.2022 passed in the main matter being Writ Petition (Civil) No(s). 13381/1984, *M.C. Mehta vs. Union of India & Ors.*, while disposing of the I.A. 51269/2017 and connected IAs. He has drawn the attention of this Tribunal to the recommendation contained in Para 21(ii) of the above report of the CEC which reads as under:

> *"21. xxx......................................xxx...............................xxx*
>
> *(i) xxx......................................xxx...............................xxx*
> *(ii). Consider extending the area of the Soor Sarovar Bird Sanctuary (SSBS) by including the Surdas Reserve Forest block of 380.558 ha and 15.514 ha of the government land which currently forms the buffer zone of the Sanctuary outside the proposed boundary of the Sanctuary after*

following the procedure under sections 18 to 25 of the Wildlife (Protection) Act, 1972."

2. He submits that since IA has been allowed by the Apex Court, therefore, the above recommendation of the CEC is required to be implemented by the respondents.

3. In view of the above submission, we deem it proper to issue notice to the respondents No. 2, 4 and 5, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Principal Chief Conservator of Forests (PCCF), Uttar Pradesh and Divisional Commissioner-III, Agra respectively. The Counsel for the applicant is directed to take appropriate steps to serve the said respondents. Let the response on behalf of the above respondents be filed on or before the next date of hearing.

4. List on 06.11.2023.

Prakash Shrivastava, CP

Sheo Kumar Singh, JM

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

August 24, 2023
Original Application No. 529/2023
DV

Enclosure: 15

मा0 न्यायालय/महत्वपूर्ण/सुनवाई तिथि 06.11.2023

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या-1152/10-1 (O.A. No.-41/2015 & O.A. No 189/2014 Vol. IV) लखनऊः दिनांकः 25 अक्टूबर, 2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन, अनुभाग-4,
उत्तर प्रदेश, शासन, लखनऊ।

विषयः- मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका (सिविल) संख्या-13381/1984 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में डॉ0 शरद गुप्ता द्वारा दाखिल आई0ए0 संख्या-196157, 196158 एवं 196159 के सम्बन्ध में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.09.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भः- पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन, अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ का पत्रांक-373/81-4-2023 दिनांक 03.05.2023 एवं पत्रांक-एम0एस0-25/81-4-2023 दिनांक 22.08.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों के कम में अनुरोध पूर्वक अवगत कराना है कि ओ0ए0 संख्या-189/2014 एंव ओ0ए0 संख्या-41/2015 उमा शंकर पटवा बनाम यूनियन ऑल इण्डिया व अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.06.2021 एवं आई0ए0 संख्या-196157, 196158 एवं 196159 में CEC की रिपोर्ट संख्या-17/2021 दिनांक 25.11.2021 के क्रम में मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.09.2022 एंव मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-529/2023 (डॉ0 शरद गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत दिनांक 24.08.2023 को पारित आदेशके अनुपालन में सूरसरोवर पक्षी विहार, कीठम, आगरा की सीमाओं एंव सीमाबद्ध क्षेत्र का सुव्यवस्थीकरण किया जाना है। सूरसरोवर पक्षी विहार की सीमाओं के सुव्यवस्थीकरण के क्रम में शासन के सन्दर्भित पत्र दिनांक 03.05.2023 में उल्लिखित बिन्दुओं पर चाही गयी आख्या के अनुपालन हेतु उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजैक्ट, उ0प्र0 आगरा द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के आधार पर बिन्दुवार आख्या निम्नवत् हैः-

बिन्दु सं0-(1)-सूरसरोवर पक्षी विहार के वर्तमान अधिसूचित सीमाओं/चौहद्दी के मध्यम सीमाबद्ध क्षेत्र तथा पक्षी विहार के अधिसूचित क्षेत्रफल (403.0950) में विसंगति होने के कारण पक्षी विहार के अधिसूचित क्षेत्रफल 403.09 हे0 की सीमाओं का सुव्यवस्थीकरण किए जाने का अनुरोध किया गया है, परन्तु प्रस्ताव में यह स्पष्ट नहीं है कि शासनादेश सं0-764/14-3-49/90 दिनांक 27.03.1991 द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा-18 के अन्तर्गत अधिसूचित सूरसरोवर पक्षी विहार की नवीन/संशोधित अधिसूचना निर्गत किए जाने अथवा उक्त पक्षी विहार अधिनियम की धारा-26ए के अन्तर्गत अन्तिम अधिसूचना निर्गत किए जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही की जानी है।

बिन्दु सं0-(1) की आख्या- उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि सूरसरोवर पक्षी विहार के वर्तमान अधिसूचित सीमाओं/चौहद्दी के मध्य सीमाबद्ध क्षेत्र तथा पक्षी विहार के अधिसूचित क्षेत्रफल (403.0950) में विसंगति आभासी है और इसके कम में जिलाधिकारी, आगरा की संयुक्त पैमाइश रिपोर्ट दिनांक12.03.2019 अनुसार सूरसरोवर पक्षी विहार के अधिसूचित क्षेत्रफल 403.09 हे0 के पैमाइश के दौरान पर 415.019 हे0 पाया गया जो कि खतौनी के अनुसार 418.5050 हे0 दर्ज है जिसका ब्यौरा निम्नवत् हैः-

CCF
प्रा0 का0 कार्य।
27/10/2023

सूरसरोवर पक्षी विहार कीठम के नोटिफिकेशन दिनांक 27.03.1991 की चौहद्दी के अन्तर्गत स्थित भूमि की प्रकृति का विवरणः–

नोटिफिकेशन दिनांक 27.03.1991 के अनुसार सूरसरोवर पक्षी विहार की चौहदी निम्ननुसार हैः–

उत्तर– ग्राम सींगना की बाहरी सीमा
पूरब– ग्राम रूनकता की बाहरी सीमा
दक्षिण– राष्ट्रीय राजमार्ग सं02 की सीमा
पश्चिम– ग्राम नगला भूपला की सीमा

चौहदी के अन्तर्गत शामिल कुल क्षेत्रफल–1865.8908 हे0 का वर्गीकरण निम्नानुसार हैः–

क्र0सं0	ग्राम का नाम	सरकारी भूमि (हे0)	प्राइवेट भूमि (हे0)		कीठम झील क्षेत्रफल (हे0)	
			कृषि / शामिल आबादी	व्यावसायिक / औद्योगिक / टाउनसिप / शिक्षण संस्थान आदि	स्केप बंधा / नाला	रजवाहा, गन्दा नाला / सर्विस रोड
1	रूनकता	337.4276	341.062	50.7330	121.9920	1.5790
2	सींगना	207.6105	377.8280	33.3300	201.9660	–
3	सीमा फरह	6.7380	61.8925	4.4620	92.2770	0.6910
4	अरसेना	26.1280	16.6840	3.4880	–	–
	कुल योग	577.9041	797.4687	72.0130	416.2350	2.2700

अतः सूरसरोवर पक्षी विहार के उक्त संयुक्त पैमाइश रिपोर्ट एंव शासनादेश सं0--764 / 14–3–49 / 90 दिनांक 27.03.1991 के आलोक में पक्षी विहार की प्रश्नगत भूमि की पुनः वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 19 से धारा 25 तक की कार्यवाही करने के उपरान्त वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियिम 1972 की धारा–26ए के अन्तर्गत अधिसूचित किया जाना होगा।

बिन्दु सं0 (2) उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के प्रस्तर–1 (बी) के बिन्दु संख्या–3 में उल्लेख किया गया है कि सूरसरोवर पक्षी विहार के अधिसूचित क्षेत्रफल 403.09 हे0 में से 92.49 हे0 भूमि कीठम वन ब्लाक की आरक्षित वन भूमि न होकर के सिंचाई विभाग से वन विभाग को हस्तांतरित फॉरेस्ट एरिया है, जो वर्तमान में डीम्ड फॉरेस्ट एरिया है, उक्त भूमि सिंचाई विभाग से वन विभाग हस्तान्तरित हुई, जिसके अमलदरामद की कार्यवाही प्रचलित है। तत्पश्चात उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनिमय 1927 की धारा–29 के अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया जाना है।

इससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि कीठम वन ब्लाक (92.49 हे0) की भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत अमलदरामद की प्रकिया / आरक्षित वन क्षेत्र घोषित करने विषयक प्रकरण की अद्यतन स्थिति क्या है। साथ ही प्रश्नगत भूमि के आरक्षित वन क्षेत्र घोषित करने से पूर्व सूरसरोवर पक्षी विहार की प्रस्तावित नवीन संशोधित अन्तिम अधिसूचना निर्गत करने हेतु नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सकती है अथवा नहीं।

बिन्दु सं0–2 की आख्या– सूरसरोवर पक्षी विहार के अधिसूचित क्षेत्रफल 403.09 हे0 मं से 92.49 हे0 भूमि कीठम वन ब्लाक की आरक्षित वन भूमि न होकर के सिंचाई विभाग से वन विभाग को हस्तान्तरित फॉरेस्ट एरिया है, जो वर्तमान में डीम्ड फॉरेस्ट एरिया है, उक्त भूमि सिचाई विभाग से वन विभाग को हस्तान्तरित हुई है, जिसकी अमलदरामद की प्रकिया प्रचलित है। अतः अवगत कराना है कि प्रश्नगत भूमि का भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 की धारा 26ए के तहत अभ्यारण्य घोषित किया जाना एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाना पृथक प्रकिया है। अतः प्रश्नगत भूमि को भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 की धारा 26ए के तहत अभ्यारण्य घोषित किया किया जा सकता है।

बिन्दु सं0 (3) इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि सूरसरोवर पक्षी विहार की पूर्व में निर्गत अधिसूचना (क्षेत्रफल–403.558 हे0) को अनुसार ही अधिनियम की धारा–26क के अन्तर्गत अन्तिम अधिसूचना निर्गत करने की कार्यवाही की जाती है, तो फिर क्या सूरदास वन ब्लाक (क्षेत्रफल–380.558 हे0) एवं राजकीय भूमि (क्षेत्रफल–15.415) हेतु अधिनियम की धारा 18 से धारा 25 के अन्तर्गत निर्धारित प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए सुव्यवस्थीकरण की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त सूरसरोवर पक्षी विहार के समेकित क्षेत्रफल (क्षेत्रफल–799.063) हेतु पुनः भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 की धारा 26ए के अन्तर्गत नियमानुसार अन्तिम सूचना निर्गत की जा सकती है।

बिन्दु सं0–3 की आख्या– सूरसरोवर वन ब्लाक (380.558 हे0) वन भूमि आरक्षित वन है वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 26ए (बी) के साथ धारा–66(4) के अनुसार उक्त वन भूमि को अभ्यारण्य के रूप में अलग से अधिसूचित किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

यहाँ यह भी स्पष्ट है कि जिलाधिकारी, आगरा की संयुक्त पैमाइश रिपोद्द के अनुसार पक्षी विहार का क्षेत्रफल 418.5050 हे0 है। अतः वर्णित अतिरिक्त राजकीय भूमि 15.415 हे0 पक्षी विहार की अधिसूचना में वर्णित सीमा के भीतर ही स्थित है। अतः बन्दोबरत की प्रकिया पूर्ण होने के पश्चात 26ए की अंतिम अधिसूचना जारी करते समय इस भूमि को बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा पक्षी विहार के अन्तर्गत सम्मिलित किया जा सकता है।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा निर्देशित द्विचरणीय प्रस्ताव (23.09.2022)–

अवगत कराना है कि सूरसरोवर पक्षी विहार के सीमाओं के सुव्यवस्थीकरण के कम में मा0 सर्वोच्च नयायालय, नई दिल्ली द्वारा आई0ए0 संख्या 196157, 196158 व 196159 में पारित आदेश दिनांक 23.09.2022 का आदेश एवं मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या 529/2023 (डॉ0 शरद गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में पारित आदेश दिनांकित 24.08.2023 के कम में सूरसरोवर पक्षी विहार के सीमाओं के सुव्यवस्थीकरण हेतु मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित द्विचरणीय प्रस्ताव निम्नवत् है–

प्रस्तावः–

दिनांक 11.10.2023 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ की अध्यक्षता में बैठक में उक्त मंतव्य पर परिचच्रा एवं उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट आगरा के अध्यक्षता में विभागीय समिति के परामर्श के पश्चात, सूर सरोवर पक्षी विहार की सीमाओं, क्षेत्रफल के सुव्यवस्थीकरण में की जाने वाली कार्यवाही मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.09.2022 के अनुपालन में द्विचरणीय प्रस्ताव निम्नवत् है–

क्र. सं.	चरण संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	विवरण
1	प्रथम	403.09	सूर सरोवर पक्षी विहार के उक्त संयुक्त पैमाइश रिपोर्ट एंव शासनादेश सं0–764/14–3–49/90 दिनांक 27.03.1991 के आलोक में पक्षी विहार की प्रश्नगत भूमि की पुनः वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 19 से धारा 25 तक की कार्यवाही करने के उपरान्त अभ्यारण्य के रूप में घोषित करने हेतु पूर्व में उ0प्र0 शासन को प्रेषित वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 26ए (प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक 3132/10–2 (वन्दो वस्ती) दिनांक 05.06.2008) के आलेख में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 23.09.2023 के कम में परितर्वतन की आवश्यकता होगी।
2	द्वितीय	380.558	. 380.558 हे0 वन भूमि आरक्षित वन है। वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 26ए (बी) के साथ धारा–66(4) के पठनोपरान्त उक्त वन भूमि को अभ्यारण्य के रूप में अलग से अधिसूचित किये जाने पर विचार किया जा सकता है। . यहाँ यह भी स्पष्ट करना है कि जिलाधिकारी, आगरा की संयुक्त पैमाइश रिपोर्ट के अनुसार पक्षी विहार का क्षेत्रफल 418.5050 हे0 है। अतः वर्णित अतिरिक्त राजकीय भूमि 15.415

			हे0 पक्षी विहार की अधिसूचना में वर्णित सीमा के भीतर ही स्थित है। अतः बन्दोबस्त की प्रकिया पूर्ण होने के पश्चात 26ए की अंतिम अधिसूचना जारी करते समय इस भूमि को बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा पक्षी विहार के अन्तर्गत सम्मिलित किया जा सकता है।

अतः संदर्भित शासकीय पत्र के कम में की गयी पृच्छा के अनुपालन में उक्तानुसार आख्या संगत मानचित्र संलग्न कर संस्तुति सहित सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–529/2023 (डॉ0 शरद गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में दिनांक 24.08.2023 को पारित आदेश के अनुपालन हेतु शासन स्तर पर उक्त आख्या का अनुमोदन प्रदान करने पर विचार करना चाहें, ताकि तदानुसार प्रकरण में मा0 अधिकरण के समक्ष प्रतिवाद किया जा सके।

उल्लेखनीय है कि वाद में सुनवाई की तिथि 06.11.2023 नियत है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अंजनी कुमार आचार्य)
प्रधान मुख्य संरक्षक, वन्य जीव,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या 1152 **/उक्तदिनांकित।**

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में शासन से समन्वय स्थापित कराकर उपरोक्तानुसार प्रेषित आख्या का ससमय अनुमोदन प्राप्त कराते हुए प्रकरण में यथावश्यक अग्रेतर विधिक कार्यवाही ससमय कराने का कष्ट करें तथा जिला प्रशासन से सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

1. मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
2. उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सेंचुरी प्रोजेक्ट, उत्तर प्रदेश, आगरा।

(अंजनी कुमार आचार्य)
प्रधान मुख्य संरक्षक, वन्य जीव,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

Enclosure:- 16

कार्यालय उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट, उ0प्र0, आगरा

पत्रांक **184 (शि0कै0)** /10–1 *(मा0एन0जी0टी ओ0ए0सं0 529/2023)* दिनांक, आगरा, अक्टूबर 31 ,2023

Email Id – dfochambal@rediffmail.com, dfochambal@gmail.com

सेवा में,

जिला अधिकारी,
आगरा।

विषयः– सूरसरोवर पक्षी विहार कीठम आगरा अधिसूचित क्षेत्रफल में विसंगति का निवारण करते हुए अधिसूचित क्षेत्रफल 403.09 हे0 मय गाटा सं0 पिलर एव बीयरिंग के साथ प्रदान करने के सम्बन्ध मे।

संदर्भः–
1. जिलाधिकारी आगरा, संयुक्त पैमाइश रिपोर्ट दिनांक 12–03–2019
2. उत्तर प्रदेश सरकार, वन अनुभाग – 3 पत्रांक 764/14–3–49/90 दिनांक 27–03–1991
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–4, उ0प्र0 शासन के पत्रांक 1251/81–4–2023 दिनांक 30–10–2023

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि सूरसरोवर पक्षी विहार के अधिसूचित क्षेत्रफल 403.09 हे0(उत्तर प्रदेश सरकार, वन अनुभाग – 3 पत्रांक 764/14–3–49/90 दिनांक 27–03–1991) के गाटा नम्बरों, गाटाओं के क्षेत्रफल व स्वामित्व के सम्बन्ध में स्थिति सूरसरोवर पक्षी विहार से सम्बन्धित ओ0 नं0 41/2015 एवं 189/2014 उमाशंकर पटवा बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी आगरा, संयुक्त पैमाइश समिति की रिपोर्ट दिनांकित 12–03–2019(सलग्न) द्वारा स्पष्ट की गयी है। इस रिपोर्ट के अनुसार सूरसरोवर पक्षी विहार कीठम आगरा का क्षेत्रफल मौके पर 415.019 हे0 एवं गाटावार खतौनी के संकलन के आधार पर 418 हे0 पाया गया है, जो कि सूरसरोवर पक्षी विहार के अधिसचित क्षेत्रफल 403.09 हे0 से भिन्न है।

इसी क्रम में यह भी अवगत कराना है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा आई0 ए0 सं0 196157, 196158 एवं 196159 में पारित आदेश दिनांकित 23–09–2022 एवं मा0 एन0जी0टी द्वारा ओ0ए0 संख्या 529/2023 में पारित आदेश दिनांकित 24–08–2023 के क्रम में सूरसरोवर पक्षी विहार के सीमाओं का सुवयव्स्थीकरण किया जाना प्रस्तावित है जिसका अनुमोदन उ0प्र0 शासन के पत्रांक 1251/81–4–2023 दिनांकित 30–10–2023 द्वारा प्राप्त किया गया है, जिसमें यह निर्देशित है कि पश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही अविलम्ब निश्चित कराते हुए वन सरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 18/19 से 25 एवं धारा 26 के अर्न्तगत कुल विवरण सहित सुस्पष्ट प्रस्ताव तत्काल शासन को उपलब्ध कराया जाए।

अतः महोदय से सादर अनुरोध है कि उक्त मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेशों और उ0प्र0 शासन के निर्देशों के अनुपालन में सूरसरोवर पक्षी विहार के सीमाओं के सुव्यवस्थीकरण हेतु पैमाइश के उपरान्त, जिलाधिकारी आगरा के सर्वे सीमाकंन के पश्चात दिये गये खतौनी वार क्षेत्रफल 418.505 हे0 से रकबा 15.415 हे0 को पृथक करते हुए अधिसचित क्षेत्रफल 403.09 हे0 मय मानचित्र, बाउण्ड्रही पिलर एवं फारवर्ड, बैकवर्ड वियरिंग के साथ उपलब्ध करने की कृपा करें, जिससे उक्त आदेशों एवं निर्देशों का ससमय अनुपालन किया जा सके।

(आरूषी मिश्रा)
उप वन संरक्षक,
राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट,
उ0प्र0, आगरा

पत्रांक / 10–1(मा0एन0जी0टी ओ0ए0सं0 529/2023) उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:– मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0, कानपुर को उपरोक्तानुसार सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(आरूषी मिश्रा)
उप वन संरक्षक
राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजैक्ट
उ0प्र0, आगरा